रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 25 जून, 2022 ई० (आषाढ़ 4, 1944 शक संवत्) [संख्या 26

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	603–616	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	413–430	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	307–336	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[गोपन]

अनुभाग-3

अधिसूचना

21 जून, 2021 ई0

सं0 103/1/4/2019-सीएक्स-3–चूंकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग इब्राहिमपट्टी, बलिया विद्युत् उपकेन्द्र 765/400 के0वी0एच0वी0एस0सी0 तथा 500 के0वी0एच0वी0 डी0सी0, जिला बलिया से दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एवं मऊ विद्युत् उपकेन्द्रों को विद्युत् पारेषण के लिये किया जाता है :

और चूंकि उससे संबंधित या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विध्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुंचेगा।

अतएव, अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या उन्नीस सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक ''प्रतिषिद्ध स्थान'' घोषित करती हैं और यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगाई जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश

765/400 के0वी0एच0वी0एस0सी0 तथा 500 के0वी0एच0वी0डी0सी0, इब्राहिमपट्टी, बलिया, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश।

पूर्व में–	ग्राम–देवधरिया मालती, हरिशचन्द्र इण्टर कालेज।
पश्चिम में–	किड़िहरापुर–फतेहपुर मार्ग।
उत्तर में–	ग्राम–भीण्ड कन्हैया इण्टर कालेज।
दक्षिण में–	ग्राम–चकहब्सापुर, सीतरामी इण्टर कालेज।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 103/1/4/2019-CX-3, dated June 21, 2021 for general information.

NOTIFICATION

June 21, 2021

No. 103/1/4/2019-CX-3–WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule given below is a place used for power transmission from power sub-station 765/400 K.V.H.V.S.C. and 500 K.V.H.V.D.C., Ibrahimpatti Balia, Distt.-Balia to Delhi, Lucknow, Varanasi and Mau power sub-stations ;

AND WHEREAS an information with respect thereto, of the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause *(d)* of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no. XIX of 1923), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 1285 dated May 4, 1963, the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a "Prohibited Place" for the purposes of the said Act and to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the prohibited place

765/400 K.V.H.V.S.C. and 500 K.V.H.V.D.C., Ibrahimpatti Balia, Distt.-Balia.

In East-	Village-Devdharia Malti Harishchandra Inter College.
In West-	Kidiharapur-Fatehpur Road.
In North-	Village-Bheend Kanahaiya Inter College.
In South-	Village-Chakhabsapur Seetrami Inter College.

By order,
AWANISH KUMAR AWASTHI,
Additional Chief Secretary.

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

शुद्धि-पत्र / निरस्तीकरण

12 फरवरी, 2022 ई0

सं0 302 / छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन) / 2021—चयन वर्ष 2021-2022 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 01 जनवरी, 2022 को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के क्रम में शासन के आदेश संख्या 19 / छः पु0से0-1-022-01(अधियाचन) / 2021, दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा 26 पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक साधारण वेतनमान रु0 15,600—39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स लेवल-10, 56,100-1,77,500 में प्रोन्नति प्रदान की गयी है। उक्त प्रोन्नत आदेश के क्रमांक 07 पर स्थित पुलिस निरीक्षक श्री सुधीर कुमार त्यागी, पी0एन0ओ0-902530113 (पुराना ज्येष्ठता क्रमांक-104, नया ज्येष्ठता क्रमांक-22) को भी प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

2—पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या डीजी-दो-ब-61ए-2021-2022, दिनांक 11 फरवरी, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि पुलिस निरीक्षक श्री सुधीर कुमार त्यागी पी0एन0ओ0-902530113 के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 469 / 96 धारा 166 / 167 / 342 / 330 / 344 / 304 / 217 / 218 / 34 / 193 / 197 / 198 / 203 भा0द0वि0

थाना रकाबगंज, जनपद आगरा की विवेचना में सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र संख्या 14ए/99, दिनांक 06 अप्रैल, 1999 प्रेषित किया गया है, जो वाद संख्या 2911/11 पर मा0 न्यायालय ए0 सी0 जे0 एम0-1, आगरा में विचाराधीन है। इस तथ्य को श्री सुधीर कुमार त्यागी, पुलिस निरीक्षक द्वारा छिपाया गया।

3—अतः कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997, दिनांक 28 मई, 1997 के प्रस्तर-11 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में श्री सुधीर कुमार त्यागी, (पुराना ज्येष्ठता क्रमांक-104, नया ज्येष्ठता क्रमांक-22 जो शासन के कार्यालय आदेश संख्या 19/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021, 05 जनवरी, 2022 के क्रमांक-7 पर स्थित है, की पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रदान की गयी प्रोन्नति को तात्कालिक प्रभाव से उक्त आदेश के निर्गमन की तिथि दिनांक 05 जनवरी, 2022 से संशोधित/रिकाल/निरस्त किया जाता है। कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मई, 1997 के प्रस्तर-11 के अनुसार यह बन्द लिफाफा समझा जायेगा।

उक्त आदेश संख्या 19/छः पु0से0-1-2022-01(अधियाचन)/2021, दिनांक 05 जनवरी, 2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

28 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 126507/2021/71-1001/478/2020—उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, स्टेटिशियन कम प्रवक्ता विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या 14/252/डी0आर0/सेवा-8/2014-15, दिनांक 17 नवम्बर, 2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल श्री आशीष दत्त उपाध्याय पुत्र श्री हर दत्त उपाध्याय (रजि0 नं0 52020395069) को राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में वेतन एकेटेमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रु0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

(2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा-भत्ता देय न होगा।

(4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिश करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम 18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन लम्बित न होने तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथ-पत्र।

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

3–अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद् के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्ष कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4–अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

सं0 126691/2021/71-1001/478/2020–उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, स्टेटिशियन कम प्रवक्ता विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या 14/252/डी0आर0/सेवा-8/2014-15, दिनांक 17 नवम्बर, 2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री राम नरेश (रजि0 नं0 52020014059) को राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में वेतन एकेटेमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे रु0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

(2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा-भत्ता देय न होगा।

(4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिश करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम 18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे–

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन लम्बित न होने तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथ-पत्र।

(3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण-पत्र।

3–अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद् के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्ष कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

4–अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ-पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा विभाग

अनुभाग-3

तैनाती

03 मार्च, 2022 ई0

सं0 410(तीन)/चि0-3-2022–प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत उ0प्र0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 द्वारा संवर्ग के पदों पर चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600 चिकित्साधिकारी (ई0एन0टी0) (लेवल-2) के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये तैनाती हेतु की गयी काउंसिलिंग के आधार पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित चिकित्सा इकाई एवं जनपद में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) संबंधित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2020 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि तथा सेवा नियमावली की शर्ते पूर्ण करने पर स्थायीकरण के सम्बन्ध में पृथक् से विचार किया जायेगा।

(2) संबंधित चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति-पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से तत्काल सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगे।

(3) संबंधित चिकित्साधिकारी संलग्न प्रारूप पर चरित्र प्राग्वृत्त के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(4) संबंधित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें उ0प्र0 सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या 248/सेक-2-

पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या 2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(5) संबंधित चिकित्साधारी पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी विहित अवधि में अपने तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि संबंधित चिकित्साधिकारी विहित निर्धारित अवधि में तैनाती जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

6—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—संबंधित चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

(1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(2) उ0प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।

(3) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण-पत्र।

(4) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(5) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(6) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।

2—प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उनकी वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मेरिट में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
रविन्द्र,
सचिव।

बेसिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

22 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 54/2021/2168/अरसठ-1-2021-33(39)/2021—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के प्रयागराज के पत्र संख्या 40/02/ई-3/2020-21, दिनांक 14 जुलाई, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 में वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर छठें वेतनमान, वेतन

बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित पे बैण्ड-3, 56,100-1,77,500, ग्रेड पे लेवल-10) में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0	लो0से0आ0 का क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता
1	2	3	4	5	6
			सर्वश्री–		
1	53	445057	अजय कुमार मिश्र	कड़े दीन मिश्र	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता-ग्राम व पोस्ट-चन्दरिया, तहसील-अमेठी, अमेठी (सी0एस0एम0 नगर) उ0प्र0, पिन-227413

2–उपर्युक्त अभ्यर्थी निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। उक्त नवनियुक्त अधिकारी के जनपदों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3–उपर्युक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं उपबंधों के अधीन होगी–

(1) संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे। अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

(2) संबंधित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

(3) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 01 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(4) उक्त अंकित तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थी जो दूसरे विभागों में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़ कर बेसिक शिक्षा विभाग में योगदान देते हैं तो उन्हें अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(5) संबंधित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आदि के सम्बन्ध में यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना समाप्त की जा सकती है।

(6) यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता या उम्मीदवार द्वारा उसके स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(8) बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं को उपलब्ध करायें–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पास पोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

19 जनवरी, 2022 ई0

सं0 15/2022/न0नि0-140/अरसठ-1-2022-33(39)/2021–लोक सेवा आयेाग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2020 के आधार पर वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के प्रयागराज के पत्र संख्या 40/02/ई-3/2020-21, दिनांक 14 जुलाई, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 में वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर छठें वेतनमान, वेतन बैण्ड-3 रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे 5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित पे बैण्ड-3, 56,100-1,77,500, ग्रेड पे लेवल-10) में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0	लो0से0आ0 का क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता
1	2	3	4	5	6
1	33	027535	सर्वश्री– सूर्य प्रताप	सर्वश्री– ब्रहम नारायण सिंह	स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता-ग्राम व पोस्ट-छतई कलां, शाहगंज, जौनपुर, उ0प्र0, पिन-223101

2–उपर्युक्त अभ्यर्थी निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। उक्त नवनियुक्त अधिकारी के जनपदों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3–उपर्युक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं उपबंधों के अधीन होगी–

(1) संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे। अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं।

(2) संबंधित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

(3) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 01 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(4) उक्त अंकित तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थी जो दूसरे विभागों में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़ कर बेसिक शिक्षा विभाग में योगदान देते हैं तो उन्हें अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(5) संबंधित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आदि के सम्बन्ध में यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(6) यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता या उम्मीदवार द्वारा उसके स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी की विभागीय अधिकारियों के साथ पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(8) बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं को उपलब्ध करायें–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पास पोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

27 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 4879/96-आयुष-1-2021-66/2011–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के 521 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति

पत्र संख्या 21/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या 57/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 19 जून, 2020, पत्र संख्या 91/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या 106/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 17 जुलाई, 2020 एवं पत्र संख्या 145/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 27 अगस्त, 2020 एवं पत्र संख्या 170/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या 184(1)/01/डीआर/एस-11/2016-17, दिनांक 23 जुलाई, 2021 के आधार पर चयनित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल महोदया द्वारा चयन क्रमांक-329 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक-5300009521) (अनारक्षित सामान्य श्रेणी) सुश्री ज्योति यादव पुत्री स्व0 मुन्ना यादव निवासी ग्राम–खानपुर, पोस्ट–काझा खुर्द, मोहम्मदाबाद गोहना, जिला मऊ, उ0प्र0-276403 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, तरकुलहां, जनपद देवरिया में रिक्त पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय न होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

[1] 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

[2] अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

[3] उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

[4] ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

[5] गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

[6] चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

[7] एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(7) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देवरिया के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(10) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(11) उक्त चयन/नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या 4102/2020, डा0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय व 10 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 11889/एस0एस0/2020, नरेन्द्र पाल व अन्य तथा सिविल मिस रिट नोटिस संख्या 2280/एस0एस0/2020, डा0 रिनी भारद्वाज बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

संस्कृति अनुभाग

नियुक्ति

09 मार्च, 2022 ई0

सं0 339/चार-2022–उ0प्र0 संस्कृति निदेशालय के अन्तर्गत सहायक निदेशक (सामान्य/निष्पादन कला) के 02 पद (अनारक्षित) पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा पत्र संख्या 39(4)/05/डी0आर0/एस-3/2017-18टी0सी0, दिनांक 04 फरवरी, 2022 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदनाम में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री योगेश विक्रम	सहायक निदेशक (सामान्य/निष्पादन कला)

2–उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी–

(1) चयनित अभ्यर्थी उ0प्र0 संस्कृति विभाग राजपत्रित अधिकारी समूह 'ख' सेवा नियमावली, 2003 के प्रस्तर 18(1) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अनुमन्य भत्ते भी देय होंगे।

(3) अभ्यर्थी का नियमानुसार चरित्र सत्यापन एवं पुलिस सत्यापन किया जायेगा। उक्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उनकी नियुक्ति विधिवत शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।

(4) अभ्यर्थी के समस्त प्रमाण-पत्रों यथा वांछित शैक्षिक/प्रशिक्षण/अनुभव योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जायेगा। अभ्यर्थी आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अथवा फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर चयनित होने में सफल हो गया है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन विधितः शून्य मानी जायेगी तथा नियुक्ति तत्काल निरसत कर दी जायेगी। अभ्यर्थी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होगा एवं भविष्य में उक्त पद के प्रति उसका दावा मान्य नहीं होगा।

(5) अभ्यर्थी की शर्तें शासन के प्रचलित नियमावलियों एवं लागू शासनादेशों के अधीन होगी।

(6) अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

(7) यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी सेवा में है उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3—अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति की इच्छुक होने की दशा में संलग्न शपथ-पत्र (रु0 10 के गैर न्यायिक नान-जुडिसियल स्टांप पेपर) पर भरकर इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संस्कृति विभाग के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

सेवानिवृत्ति

17 फरवरी, 2022 ई0

सं0 250/छप्पन-2022-59/1995—अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री देवराज सिंह, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ की जन्म-तिथि उनकी सेवा पुस्तिका के अनुसार 20 जुलाई, 1962 (बीस जुलाई उन्नीस सौ बासठ) है। इस प्रकार श्री देवराज सिंह वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड दो, भाग दो से चार के मूल नियम-56 (यथा संशोधित) के अनुसार 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त कर दिनांक 31 जुलाई, 2022 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आज्ञा से,
कुमार हर्ष,
विशेष सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति-पत्र

28 फरवरी, 2022 ई0

सं0 70/22-1-2022-306/98/टी0सी0—लोक सेवा आयेाग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2020 के आधार पर अधीक्षक कारागार के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शशांक पाण्डेय पुत्र श्री विजय नारायण पाण्डेय, ग्राम-नरियांव, थाना-जहांगीरगंज, जिला अम्बेडकरनगर, उ0प्र0 पिन कोड-224147 (अनुक्रमांक-054853) को उत्तर प्रदेश कारागार सेवा में अधीक्षक कारागार समूह ख (वेतनमान

रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर श्री राज्यपाल सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

2—श्री शशांक पाण्डेय की नियुक्ति इस शर्त के अधीन की जाती है कि उनकी सेवायें उ0प्र0 जेल (समूह-क और ख) सेवा नियमावली, 1982 एवं यथा संशोधित सेवा नियमावलियों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

3—श्री शशांक पाण्डेय को महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के कार्यालय में सम्बद्ध करते हुये तैनात किया जाता है तथा उन्हें एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह कारागार सेवा में अधीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों, तो इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु तैनाती स्थान पर उपस्थित हों।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि श्री शशांक पाण्डेय निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मानते हुये कि वह नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं, नियमानुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

4—श्री शशांक पाण्डेय उ0प्र0 जेल (समूह-क और ख) सेवा नियमावली, 1982 यथा संशोधित सपठित उ0प्र0 सरकार सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत अधीक्षक कारागार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

5—श्री शशांक पाण्डेय की ज्येष्ठता उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (अद्यावधिक संशोधनसहित) के प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा तैयार की गयी मेरिट सूची के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

6—यदि कोई याचिका विचाराधीन है, तो प्रश्नगत नियुक्ति उक्त याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-10

पदोन्नति

02 मार्च, 2022 ई0

सं0 7/2022/255/सत्ताइस-10-22-100(4)/21—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के यांत्रिक संवर्ग के अन्तर्गत चयन वर्ष 2021-22 में सेवानिवृत्ति से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री मो0 आसिफ, अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) के पद (वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु0 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1,23,100-2,14,100 पे मैट्रिक्स लेवल-13) पर नियमित पदोन्नति की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री मो0 आसिफ की पद स्थापना के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्त पदोन्नति सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की वरिष्ठता सूची के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, लखनऊ के समक्ष योजित वाद संख्या 722/एस0बी0/99 श्रीकान्त गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य वाद संख्या 1240/एस0बी0/2007 सुरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा वाद संख्या 7001/एस0एस0/2018 रमाशंकर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय के अधीन रहेंगी।

आज्ञा से,
अनिल गर्ग,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0—13 हिन्दी गजट—भाग 1—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 जून, 2022 ई० (आषाढ़ 4, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

January 28, 2022

No. 61/Admin.(Services)-2022–Sri Hitendra Hari, Additional District & Sessions Judge, Sitapur to be Registrar (Judicial) (Listing), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

No. 62/Admin.(Services)-2022–Dr. Satyawan Singh, Registrar (Judicial) (Listing), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow to be Registrar (Judicial) (Establishment), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

January 29, 2022

No. 63/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Neelu Mogha, Additional District & Sessions Judge (POCSO), Rampur till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 64/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Rakesh Kumar-VI, Additional District & Sessions Judge, Bahraich till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office (*w.e.f.* February 01, 2022).

No. 65/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Km. Afshan, Additional Principal Judge, Family Court, Gonda till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office (*w.e.f.* February 01, 2022).

No. 66/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby

delegates Financial Powers to Sri Rajesh Kumar-V, Additional Principal Judge, Family Court, Sant Kabir Nagar till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office (*w.e.f.* February 01, 2022).

February 03, 2022

No. 67/Admin.(Services)-2022–Sri Harbans Narain, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Anti-corruption (VB-UPSEB), Lucknow *vice* Smt. Rekha Sharma.

No. 68/Admin.(Services)-2022–Smt. Rekha Sharma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 69/Admin.(Services)-2022–Sri Mohd. Ghazali, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Lucknow *vice* Smt. Shivani Jayaswal.

He is also appointed Under Section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Lucknow against the Special court created for trying cases under the said Act.

No. 70/Admin.(Services)-2022–Smt. Shivani Jayaswal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 71/Admin.(Services)-2022–Smt. Kalpana, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Lucknow for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the vacant Court.

No. 72/Admin.(Services)-2022–Sri Radhe Shyam Yadav-II, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Muzaffarnagar *vice* Sri Gopal Upadhyaya.

He is also appointed Under Section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Muzaffarnagar against the Special court created for trying cases under the said Act.

No. 73/Admin.(Services)-2022–Sri Gopal Upadhyaya, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar.

No. 74/Admin.(Services)-2022–Smt. Madhu Dogra, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bhadohi at Gyanpur in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 in the vacant Court.

No. 75/Admin.(Services)-2022–Sri Alok Kumar Yadav, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur for trying cases of crime against women *vice* Smt. Madhu Dogra.

No. 76/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Kashi Nath, Additional Principal Judge, Family Court, Maharajganj till the new Principal Judge, Family Court assumes charge of the office.

February 04, 2022

No. 77/Admin.(Services)-2022–Smt. Alunkrita Shakti Tripathi, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat *vice* Smt. Sakshi Garg.

No. 78/Admin.(Services)-2022–Smt. Sakshi Garg, Secretary (Full Time), District Legal Services

Authority, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat to be Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow.

February 17, 2022

No. 79/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Office Memorandum no. 75/II-4-2022, dated February 17, 2022 on reversion to the regular line, Sri Vinod Singh Rawat, Registrar, Supreme Court of India, New Delhi to be Presiding Officer, Motor Accident Claims Tribunal, Kanpur Nagar.

No. 80/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Office Memorandum no. 74/II-4-2022, dated February 17, 2022, Sri Ravindra Prasad Gupta, Special Judge in the Special Court, Anti-Corruption C.B.I., Court No.-1, Ghaziabad is appointed/posted as Chief Legal Advisor, New Okhla Industrial Development Authority, Gautam Buddha Nagar (Noida) on deputation basis.

No. 81/Admin.(Services)-2022–Sri Devesh Tripathi, Additional Civil Judge (Junior Division), Maharajganj to be Additional Civil Judge, Junior Division, Pharenda (Maharajganj) in the newly created court created vide G.O. no. 10/2016/870/ VII-Nyay-2-2016-85G/2012, dated July 06, 2016.

February 19, 2022

No. 82/Admin.(Services)-2022–The Court's Notification No. 79/Admin. (Services)/2022, dated February 17, 2022 is hereby rescinded.

February 21, 2022

No. 83/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Office Memo. no. 256/VII-Nyay-1-2022-8(Pra)/2008-1604611, dated February 21, 2022, Sri Vinod Singh Rawat, U.P.H.J.S. (Registrar, Supreme Court of India, New Delhi since relieved) is appointed as Director, Judicial Training & Research Institute, U.P., Lucknow.

February 26, 2022

No. 84/Admin.(Services)-2022–Smt. Alunkrita Shakti Tripathi, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat to be Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat.

No. 85/Admin.(Services)-2022–Sri Mohammad Tauseef Raza, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Ramabai Nagar/Kanpur Dehat.

No. 86/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Sonica Choudhary, Additional Principal Judge, Family Court, Bulandshahar *w.e.f.* March 01, 2022, till Principal Judge, Family Court, Bulandshahar assumes charge of the office.

February 28, 2022

No. 87/Admin.(Services)-2022–On reversion to the regular line, Sri Kamesh Shukla, Additional Legal Advisor, Governor's Secretariat, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Siddharth Nagar for trying cases of crime against women *vice* Sri Himanshu Dayal Srivastava.

No. 88/Admin.(Services)-2022–Sri Himanshu Dayal Srivastava, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Siddharth Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Siddharth Nagar.

March 8, 2022

No. 89/Admin.(Services)-2022–Sri Anand Kumar Upadhyay, Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Mirzapur *vice* Smt. Neha Gangwar.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mirzapur.

No. 90/Admin.(Services)-2022–Smt. Neha Gangwar, Additional Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Chief Judicial Magistrate, Mirzapur *vice* Smt. Swati.

No. 91/Admin.(Services)-2022–Smt. Swati, Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Civil Judge, Senior Division, Hamirpur *vice* Sri Sudesh Kumar.

No. 92/Admin.(Services)-2022–Sri Sudesh Kumar, Civil Judge, Senior Division, Hamirpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Hamirpur *vice* Sushri Seema Kumari.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Hamirpur.

No. 93/Admin.(Services)-2022–Sushri Seema Kumari, Additional Chief Judicial Magistrate, Hamirpur to be Civil Judge, Senior Division (Fast Track Court), Hamirpur.

No. 94/Admin.(Services)-2022–Sri Ratnam Srivastav, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Civil Judge, Senior Division, Mirzapur *vice* Sri Manoj Kumar Shasan.

No. 95/Admin.(Services)-2022–Sri Manoj Kumar Shasan, Civil Judge, Senior Division, Mirzapur to be Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Hamirpur.

March 12, 2022

No. 96/Admin.(Services)-2022–Pursuant to U.P. Government Notification No. /2022/262/Saat-Nyaya-2-2022-216G/2007-TC-I, dated March 12, 2022, Sushri Nidhi Sagar, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Pilibhit is appointed/ posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Pooranpur District Pilibhit in the newly created court created vide G.O. no. 10/2019/442/Saat-Nyay-2-2019-216G/2007, dated May 09, 2019.

March 24, 2022

No. 97/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government Office Memorandum no. 114/II-4-2022, dated March 23, 2022, Smt. Ranjini Shukla, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow is appointed/ posted as Joint Registrar, U.P. Information Commission, Lucknow on deputation basis.

March 31, 2022

No. 98/Admin.(Services)-2022–Sri Mohd. Sapheek, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kanpur Nagar *vice* Sri Pratham Kant.

He is also appointed Under Section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Kanpur Nagar against the Special court created for trying cases under the said Act.

No. 99/Admin.(Services)-2022–Sri Pratham Kant, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 100/Admin.(Services)-2022–Sri Sunder Lal, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/ Special Judge, Kanpur Nagar for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) *vice* Smt. Kapila Raghav.

No. 101/Admin.(Services)-2022–Smt. Kapila Raghav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 102/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Parul Attri, Additional Principal Judge, Family Court, Azamgarh

till the new Principal Judge, Family Court, assumes charge of the office.

April 01, 2022

No. 103/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. no. 133/Do-4-2022, dated April 01, 2022, Sri Prashant Mishra, District & Sessions Judge, Ghazipur is appointed/ posted as Legal Advisor to the Governor's Secretariat on the deputation basis.

April 03, 2022

No. 104/Admin.(Services)-2022–Sri Rajesh Narayan Mani Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sultanpur *vice* Sri Abhai Srivastav.

He is also appointed Under Section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Sultanpur against the Special court created for trying cases under the said Act.

No. 105/Admin.(Services)-2022–Sri Abhai Srivastav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 106/Admin.(Services)-2022–Sri Navneet Kumar Giri, Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Special Judge, Sultanpur for trying cases under section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) in the exclusive special court *vice* Sri Intakhab Alam.

No. 107/Admin.(Services)-2022–Sri Intakhab Alam, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

April 04, 2022

No. 108/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Ram Sudh Singh, Additional District & Sessions Judge, Ghazipur till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

April 18, 2022

No. 109/Admin.(Services)-2022–Pursuant to U.P. Government Notification No. 4/2022/263/Saat-Nyaya-2-2022-216G/2007-TC-I, dated March 16, 2022, read with corrigendum No. /2022/301/Saat-Nyaya-2-2022-216G/2007-TC-I, dated April 01, 2022, Sushri Pooja, Additional Civil Judge, Junior Division, Ghazipur is appointed/ posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil Jakhaniya District Ghazipur in the newly created court created vide G.O. no. 25/2015/1462/Saat-Nyay-2-2015-216G/2007, dated November 24, 2015.

April 19, 2022

No. 110/Admin.(Services)-2022–Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No.103/ Do-4-2022, dated April 06, 2022, Sri Chandan Singh, Candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Ballia.

April 22, 2022

No. 111/Admin.(Services)-2022–Sri Rohit Agrawal, Joint Registrar (Judicial) (Budget), High Court, Allahabad is posted as Additional Registrar at Hon'ble Supreme Court of India on deputation basis, initially for a period of one year *w.e.f.* April 22. 2022.

April 26, 2022

No. 112/Admin.(Services)-2022–Sri Viqar Ahmed Ansari, District & Sessions Judge, Ballia to be Presiding Officer, Commercial Court, Allahabad.

April 30, 2022

No. 113/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby

delegates Financial Powers to Dr. (Smt.) Manu Kalia, Additional District & Sessions Judge, Bijnor *w.e.f.* May 01, 2022 till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 114/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. Chandra Sheela, Additional District & Sessions Judge, Faizabad *w.e.f.* May 01, 2022 till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

No. 115/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Rajendra Singh-IV, Additional District & Sessions Judge, Fatehpur *w.e.f.* May 01, 2022 till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

May 04, 2022

No. 116/Admin.(Services)-2022–In exercise of the powers conferred under Clause 12-D (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri Husain Ahmad Ansari, Additional District & Sessions Judge, Ballia till the new District & Sessions Judge assumes charge of the office.

May 11, 2022

No. 117/Admin.(Services)-2022–Sri Chandra Pal-II, Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Allahabad *vice* Sri Mridul Kumar Mishra.

He is also appointed Under Section 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Allahabad against the Special court created for trying cases under the said Act.

No. 118/Admin.(Services)-2022–Sri Mridul Kumar Mishra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Allahabad to be Additional District & Sessions Judge, Allahabad.

No. 119/Admin.(Services)-2022–Pursuant to Government O. M. No.115/Do-4-2022, dated May 11, 2022, Sri Sanjay Kumar Shukla, Additional District & Sessions Judge, Allahabad is appointed/ posted as Legal Advisor, Lucknow Development Authority, Lucknow on deputation basis.

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

06 जून, 2022 ई0

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) अन्तर्गत)

सं0 387/आठ-वि0भू0अ0अ0 (सं0सं0) प्रयागराज–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज के द्वारा आपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा सम्पार संख्या 20-सी, दिघिया (मिर्जापुर-सिरसा मार्ग के मध्य) पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण के प्रयोजन हेतु जिला प्रयागराज, तहसील-मेजा, परगना-खैरागढ़, ग्राम दिघिया में स्थित क्षेत्रफल 0.7175 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1445/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) प्रयागराज दिनांक 14 मार्च, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 17 मार्च, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। इस परियोजना में न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है एवं कराये गये सर्वेक्षण में सामाजिक समाघात में किसी भी भू-स्वामी के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है।

2-उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अधीन उपबन्ध के अनुसरण में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

3-राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन जिला प्रयागराज के कलेक्टर, भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ को इस आशय से घोषणा के प्रकाशन के सात दिवस के अन्दर भूमि राज्य सरकार में समाहित होकर अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज को निर्माण हेतु हस्तगत करें।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	हिस्से के अनुसार क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	प्रयागराज	मेजा	खैरागढ़	दिघिया	400	0.0126
2					400	0.0126
3					400	0.0126
4					400	0.0126
5					404	0.0972
6					406	0.0118
7					406	0.0118
8					459	0.0396
9					501	0.0019
10					501	0.0019
11					501	0.0019
12					501	0.0057
13					501	0.0057
14					500	0.0007
15					500	0.0007
16					500	0.0004
17					500	0.0004

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
18	प्रयागराज	मेजा	खैरागढ़	दिघिया	502	0.0095
19					502	0.0050
20					502	0.0050
21					502	0.0073
22					502	0.0026
23					502	0.0012
24					502	0.0012
25					502	0.0012
26					502	0.0012
27					502	0.0012
28					504	0.0128
29					508-मि0	0.0090
30					508-मि0	0.0090
31					509-मि0	0.0100
32					509-मि0	0.0100
33					510-मि0	0.0265
34					510-मि0	0.0265
35					510-मि0	0.0265
36					510-मि0	0.0265
37					512-मि0	0.0055
38					513-मि0	0.0730
39					514-मि0	0.0110
40					514-मि0	0.0110
41					514-मि0	0.0110
42					514-मि0	0.0110
43					515-मि0	0.0056

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
44	प्रयागराज	मेजा	खैरागढ़	दिघिया	515-मि0	0.0056
45					515-मि0	0.0056
46					515-मि0	0.0056
47					515-मि0	0.0011
48					515-मि0	0.0011
49					515-मि0	0.0011
50					515-मि0	0.0011
51					515-मि0	0.0011
52					516-मि0	0.0061
53					516-मि0	0.0061
54					516-मि0	0.0061
55					516-मि0	0.0061
56					516-मि0	0.0061
57					516-मि0	0.0061
58					516-मि0	0.0245
59					516-मि0	0.0245
60					501	0.0043
61					510	0.0095
62					510	0.0095
63					502-मि0	0.0060
64					505-मि0	0.0055
65					517-मि0	0.0142
66					517-मि0	0.0090
67					517-मि0	0.0012
					योग. .	**0.7175**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिहिन्त क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6

उक्त योजना हेतु कोई भी भू-स्वामी विस्थापित नहीं हो रहा है।
इसलिये भूमि चिन्हित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी—अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का नक्शा कलेक्टर, भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर, प्रयागराज।

NOTIFICATION

June 06, 2022

No. 387/VIII-S.L.A.O. (J.O.) Prayagraj–Where Preliminary notification no 1445/8-S.L.A.O. (J.O.) Prayagraj, Dated : 14.03.2022 was issued under sub-section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.7175 Hectares of land in Village Dighiya, Pargana Khairagrah, Tehsil Meja, District Prayagraj is required for public purpose, namely, Project District Prayagraj is required for public purpose, namely, Northern Central Railway (Mughal Saray-Allahabad Section) on D.F.C. route ROB No.-20C. Through Executive Engineer/P.D. P.W.D. Prayagraj (name of requiring body) and lastly published on dated 17-03-2022.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governer is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.7175 hectares in village Dighiya, Pargana Khairagrah, Tehsil Meja**,** District Prayagraj as given in schedule "B".

The Governor is further pleased under sub-section (2) of the section 19 of the Act, to direct the Collector of Prayagraj to publish in within seven days land is vested Government of Uttar Pradesh/Executive Engineer/P.D. P.W.D. Prayagraj hand over for construction.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUSITION)

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
1	Prayagraj	Meja	Khairagrah	Dighiya	400	0.0126
2					400	0.0126
3					400	0.0126
4					400	0.0126
5					404	0.0972
6					406	0.0118
7					406	0.0118
8					459	0.0396
9					501	0.0019
10					501	0.0019
11					501	0.0019
12					501	0.0057
13					501	0.0057

1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
14	Prayagraj	Meja	Khairagrah	Dighiya	500	0.0007
15					500	0.0007
16					500	0.0004
17					500	0.0004
18					502	0.0095
19					502	0.0050
20					502	0.0050
21					502	0.0073
22					502	0.0026
23					502	0.0012
24					502	0.0012
25					502	0.0012
26					502	0.0012
27					502	0.0012
28					504	0.0128
29					508-M	0.0090
30					508-M	0.0090
31					509-M	0.0100
32					509-M	0.0100
33					510-M	0.0265
34					510-M	0.0265
35					510-M	0.0265
36					510-M	0.0265
37					512-M	0.0055
38					513-M	0.0730
39					514-M	0.0110
40					514-M	0.0110
41					514-M	0.0110
42					514-M	0.0110
43					515-M	0.0056

1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
44	Prayagraj	Meja	Khairagrah	Dighiya	515-M	0.0056
45					515-M	0.0056
46					515-M	0.0056
47					515-M	0.0011
48					515-M	0.0011
49					515-M	0.0011
50					515-M	0.0011
51					515-M	0.0011
52					516-M	0.0061
53					516-M	0.0061
54					516-M	0.0061
55					516-M	0.0061
56					516-M	0.0061
57					516-M	0.0061
58					516-M	0.0245
59					516-M	0.0245
60					501	0.0043
61					510	0.0095
62					510	0.0095
63					502-M	0.0060
64					505-M	0.0055
65					517-M	0.0142
66					517-M	0.0090
67					517-M	0.0012
					Total. .	**0.7175**

SCHEDULE-B

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked For Rehabilation
1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
1	Prayagraj	Meja	Khairagrah	Dighiya	Zero	Zero

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Prayagraj.

सं0 388/आठ-वि0भू0अ0अ0 (सं0सं0) प्रयागराज–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज के द्वारा आपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा सम्पार सं0 17-सी पर उत्तर मध्य रेलवे के मुगलसरांय-इलाहाबाद सेक्शन के डी0एफ0सी0सी0 मार्ग पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण के प्रयोजन हेतु जनपद प्रयागराज, तहसील मेजा, परगना माण्डा, ग्राम सरवनपुर, बादपुर उपरहार एवं चकडीहा की 0.4633 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1446/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) प्रयागराज दिनांक 14.03.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 17.03.2022 को प्रकाशित की गयी थी। इस परियोजना में न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है एवं कराये गये सर्वेक्षण में सामाजिक समाघात में किसी भी भू-स्वामी के पुनर्वास एवं पुनव्यर्वस्थापन की आवश्यकता नहीं है।

2-उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अधीन उपबन्ध के अनुसरण में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

3-राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन जिला प्रयागराज के कलेक्टर, भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ को इस आशय से घोषणा के प्रकाशन के सात दिवस के अन्दर भूमि राज्य सरकार में समाहित होकर अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज को निर्माण हेतु हस्तगत करें।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	प्रयागराज	मेजा	माण्डा	सरवनपुर	70	0.0246
2					70	0.0247
3					70	0.0247
					योग. .	**0.0740**
4				बादपुर उपरहार (मानपुर)	917	0.0070
5					917	0.0014
6					917	0.0014
7					917	0.0014
8					917	0.0014
9					917	0.0014
10					911	0.0030
11					911	0.0020

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
12	प्रयागराज	मेजा	माण्डा	बादपुर उपरहार (बामपुर)	911	0.0020
13					911	0.0020
14					911	0.0020
15					911	0.0020
16					911	0.0020
17				बादपुर उपरहार (मानपुर)	916	0.0140
18					915	0.0020
19					915	0.0020
20					915	0.0020
21					915	0.0020
22					913	0.0015
23					913	0.0015
24					913	0.0015
25					913	0.0015
26				बादपुर उपरहार (परवा)	912	0.0060
27				बादपुर उपरहार (बादपुर)	909	0.0110
28					929	0.0150
29					930	0.0050
30					930	0.0050
31					931	0.0200
32				बजटा टप्पा 96 कंतित मिर्जापुर	938	0.0090
33				बादपुर उपरहार (सरवनपुर)	939	0.0020
34					939	0.0030
35				बजटा टप्पा 96 कंतित मिर्जापुर	940	0.0090
36				बादपुर उपरहार (मानपुर)	942(ख)	0.0540
37					914	0.00125
38					914	0.00125

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
39				बादपुर उपरहार (मानपुर)	914	0.00125
40					914	0.00125
41				बादपुर उपरहार (बादपुर)	942(क)	0.0200
42					942(क)	0.0200
43					942(क)	0.0200
44					942(क)	0.0200
45					942(क)	0.0200
46					942(क)	0.0200
47					942(क)	0.0200
48					942(क)	0.0200
49					942(क)	0.0200
50					942(क)	0.0200
51					942(क)	0.0200
					योग. .	**0.2121**
52				चकडीहा (कुखुडी)	83	0.0008
53				चकडीहा	84	0.0455
54					84	0.0455
55					156	0.0162
56					137 मि0	0.0460
57					93	0.0110
58					94	0.0120
					योग. .	**0.1770**
					कुल योग. .	**0.4633**

अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
उक्त योजना हेतु कोई भी भू-स्वामी विस्थापित नहीं हो रहा है। इसलिए भूमि चिन्हित किए जाने की आवश्यक नहीं है।					

टिप्पणी– अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का नक्शा कलेक्टर, भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट)
कलेक्टर, प्रयागराज।

No. 388/VIII-S.L.A.O. (J.O.) Prayagraj–Where Preliminary notification no 1446/8-S.L.A.O. (J.O.)Prayagraj, Dated : 14.03.2022 was issued under sub-section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.4633 hectares of land in Village Sarwanpur , Badpur Uparhar & Chakdeeha, Tehsil Meja, District Prayagraj is required for public purpose, namely, project District Prayagraj is required for public purpose, namely, R.O.B. in Lieu of Level Crossing No. 17-C at Km. 768/19-21 on Mughal Sarai - Allahabad Rail Section At Allahabad- Bampur Road in Distt. Prayagraj on D.F.C. route ROB No.-17C. Through Executive Engineer/P.D. P.W.D. Prayagraj (name of requiring body) and lastly published on dated 17.03.2022.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governer is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.4633 hectares in villages Sarwanpur , Badpur Uparhar & Chakdeeha,, Pargana Manda, Tehsil Meja, District Prayagraj as given in schedule "B".

The Governor is further pleased under sub-section (2) of the section 19 of the Act, to direct the Collector of **Prayagraj** to publish in within seven days land is vested Government of Uttar Pradesh/Executive Engineer/P.D. P.W.D. Prayagraj hand over for construction.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUSITION)

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired (in hect.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Prayagraj	Meza	Manda	Sarwanpur	70	0.0246
2	Prayagraj	Meza	Manda	Sarwanpur	70	0.0247
3	Prayagraj	Meza	Manda	Sarwanpur	70	0.0247
					Total. .	**0.0740**
4	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	917	0.0070
5	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	917	0.0014
6	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	917	0.0014
7	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	917	0.0014
8	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	917	0.0014
9	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	917	0.0014
10	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Bampur)	911	0.0030
11	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Bampur)	911	0.0020
12	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Bampur)	911	0.0020
13	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Bampur)	911	0.0020
14	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Bampur)	911	0.0020

1	2	3	4	5	6	7
15	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Bampur)	911	0.0020
16	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Bampur)	911	0.0020
17	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	916	0.0140
18	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	915	0.0020
19	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	915	0.0020
20	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	915	0.0020
21	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	915	0.0020
22	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	913	0.0015
23	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	913	0.0015
24	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	913	0.0015
25	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	913	0.0015
26	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Parwa)	912	0.0060
27	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	909	0.0110
28	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	929	0.0150
29	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	930	0.0050
30	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	930	0.0050
31	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	931	0.0200
32	Prayagraj	Meza	Manda	'' Bajta Tappa 96 Kantit Mirzapur	938	0.0090
33	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Sarwanpur)	939	0.0020
34	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Sarwanpur)	939	0.0030
35	Prayagraj	Meza	Manda	'' Bajta Tappa 96 Kantit Mirzapur	940	0.0090
36	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	942(Kha)	0.0540
37	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	914	0.00125
38	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	914	0.00125
39	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	914	0.00125
40	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	914	0.00125
41	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	942(Ka)	0.0025
42	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	942(Ka)	0.0008
43	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	942(Ka)	0.0008
44	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	942(Ka)	0.0033
45	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	942(Ka)	0.0005

1	2	3	4	5	6	7
46	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	942(Ka)	0.0008
47	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	942(Ka)	0.0008
48	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	942(Ka)	0.0008
49	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	942(Ka)	0.00028
50	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	942(Ka)	0.00028
51	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	942(Ka)	0.00028
					Total. .	**0.2121**
52	Prayagraj	Meza	Manda	Chakdiha (Kukudi)	83	0.0008
53	Prayagraj	Meza	Manda	Chakdiha	84	0.0455
54	Prayagraj	Meza	Manda	Chakdiha	84	0.0455
55	Prayagraj	Meza	Manda	Chakdiha	156	0.0162
56	Prayagraj	Meza	Manda	Chakdiha	137 Mi.	0.0460
57	Prayagraj	Meza	Manda	Chakdiha	93	0.0110
58	Prayagraj	Meza	Manda	Chakdiha	94	0.0120
					Total. .	**0.1770**
					Grand Total. .	**0.4633**

SCHEDULE-B

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked For Rehabilation (in hect.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Prayagraj	Meja	Manda	Zero	Zero	Zero

(*Sd.*) ILLIGIBLE,
Collector, Prayagraj.

पी0एस0यू0पी0–13 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 जून, 2022 ई० (आषाढ़ 4, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बिजनौर, जनपद बिजनौर

22 जुलाई, 2019 ई0

सं0 61/न0पा0परि0बि0/2019-20,—नगरपालिका परिषद्, बिजनौर ने नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 एवं उसमें दी गई उपधाराओं तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्संबंधी और प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए बाईलाज तैयार किया गया था, जिसको बोर्ड निकाय बोर्ड की बैठक दिनांक 01 जून, 2019 द्वारा बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान किया गया। बाईलॉज पर दावे एवं अपत्तियों प्राप्त करने हेतु बाईलॉज को नियमानुसार समाचार-पत्रों "दैनिक विधान कैसरी" एवं "शाह टाइम्स" के अंक दिनांक 14 मई, 2022 को प्रकाशन कराकर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर प्रकाशन के उपरान्त 30 दिनों तक आम जनता के आपत्ति/सुझाव कार्यालय में आमंत्रित किये गये। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई। तदोपरान्त बाईलॉज को अंतिम रूप दे दिया गया, जिसका अनुमोदान निकाय बोर्ड द्वारा दिनांक 01 जून, 2019 की बैठक में किया गया। ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्संबंधी और प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए बाईलॉज तैयार किया गया। स्वीकृति हेतु बाईलॉज का विवरण निम्नवत् है–

अध्याय–I
प्रारंभिक

1–लघु–शीर्षक और प्रारम्भ–

(i) 'इन विनियमों को ''बिजनौर फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन (F.S.S.W.M.) विनियम, 2019'' कहा जाएगा।

(ii) 'ये विनियम उत्तर प्रदेश के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से बिजनौर नगरपालिका परिषद् (B.N.P.P.) की प्रशासनिक सीमा के भीतर लागू होंगे।

2–परिभाषायें–

(i) **''एक्सेस कवर''** से तात्पर्य है–निरीक्षण, सफाई और अन्य रख-रखाव कार्यों के लिए ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्थता (O.S.S.) तक पहुंच के लिए प्रयुक्त खुले हिस्से पर उपयुक्त ढक्कन।

(ii) **B.N.P.P. पंजीकृत वैक्यूम टैंकर"** से तात्पर्य है–राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधिवत पंजीकृत वैक्यूम टैंकर, जिसका B.N.P.P. द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज (एफएसएस) के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान के लिए निरीक्षण और पंजीकरण किया गया हो।

(iii) **''विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (DWWT)''** एक ऐसी एप्रोच है जिसमें व्यक्तिगत घरों, आवासीय सोसायटियों, अलग-थलग पड़े समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या सृजन स्थल के समीप से अपशिष्ट जल के संग्रहण, ट्रीटमेंट और निपटान/पुनः उपयोग शामिल हैं। डीडब्ल्यूडब्ल्यूटी से अपशिष्ट जल के तरल, ठोस, दोनों भागों का उपचार किया जाता है।

(iv) **''निर्दिष्ट अधिकारी''** से तात्पर्य है–B.N.P.P. का ऐसा अधिकारी, जिस अधिशासी अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने या उसे निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य कार्य के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है;

(v) **''डी-स्लजिंग''** से लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर अथवा B.N.P.P. के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता व्यवस्थता (O.S.S.) से एफएनएस को खाली करने का काम अभिप्रेत है;

(vi) **''निपटान''** से एफएसएस का किसी अधिसूचित स्थान पर परिवहन और प्रवाहित करना/ले जाने का काम अभिप्रेत है;

(vii) **''उत्प्रवाही''** किसी ओएसएस से स्रावित द्रव्य है। सेप्टेज से निकलने वाले द्रव्य को भी उत्प्रवाही कहा जाता है;

(viii) **''फीकल स्लज''** से ओएसएस की नीचे बैठी सामग्री अभिप्रेत है। फीकल स्लज के लक्षणों को मोटे तौर पर घर-दर-घर, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न किया जा सकता है। फीकल स्लज़ की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं भंडारण की अवधि, तापमान, मिट्टी की दशा, स्वच्छता व्यवस्थता (O.S.S.) में भू-जल या सतही जल का प्रवेश, डी-स्लजिंग तकनीक और पैटर्न से प्रभावित होती है।

(ix) **''फीकल स्लज व सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट (F.S.S.T.P.)''** सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए ठोस एवं तरल भागों का विनिर्धारित मानकों तक ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्वतंत्र एफएसएस ट्रीटमेंट सुविधा है। इससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) भी अभिप्रेत किया जा सकता है, अगर वहॉ फीकल स्लज/सेप्टेज को सीवेज के साथ को-ट्रीट किया जाता है।

(x) **''लाइसेंस''** से तात्पर्य है–किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसका उद्देश्य फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (F.S.S.M.) की सेवाओं का निर्वहन करना है जिसमें B.N.P.P. के निर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत उद्देश्य, सत्र, नाम और पता, मार्ग आदि का उल्लेख किया गया हो।

(xi) **''लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर''** से तात्पर्य है–डी-स्लजिंग करने और अधिसूचित स्थान पर एफएसएस के परिवहन के लिए लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति;

(xii) **''अधिसूचित स्थान''** से तात्पर्य है–एफएसएस पहुंचाने और निपटान का स्थान जिसे B.N.P.P. द्वारा परिभाषित और निर्धारित किया गया है;

(xiii) **''ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्थता (O.S.S.)''** ऐसी स्वच्छता तकनीक/व्यवस्थता, जिसमें मलमूत्र एकत्रित/ट्रीट किया जाता है जहॉ पर वह उत्पन्न होता;

(xiv) **''प्रचालक''** से तात्पर्य है–एफएसएस के डी-स्लजिंग, परिहवन अथवा ट्रीटमेंट का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति।

(xv) **''व्यक्ति''** प्रासंगिक कानूनों के तहत शामिल एक व्यक्ति, एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म अथवा एक कम्पनी, व्यक्तियों का एक संगठन अथवा व्यक्तियों का एक निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

(xvi) **''शेड्यूल्ड डी–स्लजिंग''**–सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाईजेशन (सीपीएचईईओ) की सिफारिशों के आधार पर 2-3 वर्ष के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली करने की प्रक्रिया।

(xvii) **''सेप्टेज''** सेप्टिक टैंक से डी-स्लज किया गया फीकल स्लज है।

(xviii) **''सीवेज''** अपशिष्ट जल है जिसे सीवरों के जरिये एक से दूसरे स्थान ले जाया जाता है;

(xix) **''सीवर''** से तात्पर्य है–समुदाय के अपशिष्ट जल, जिसे अन्यथा सीवेज कहा जाता है, को प्रवाहित करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराई गई भूमिगत पाईप लाईन।

(xx) **''सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट''** से तात्पर्य है–वह स्थान जहां सीवेज को सुरक्षित निपटान और पुनः उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार ट्रीट किया जाता है;

(xxi) **''कार्यबल''** से तात्पर्य है–शहर में अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित शहरी स्वच्छता कार्यबल। समिति के सदस्यों का उनके सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों, शिक्षकों द्वारा सह-चयन किया जा सकता है;

(xxii) **''B.N.P.P. के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी''** से तात्पर्य है–B.N.P.P. के स्वामित्व वाले वैक्यूम टैंकर का उपयोग कर एफएसएस के डी–स्लजिंग और परिवहन के उद्देश्य के लिए B.N.P.P. के सेवारत/अनुबंधित कर्मचारी;

(xxiii) **''परिवहन''** से तात्पर्य है–B.N.P.P. पंजीकृत वैक्यूम टैंकर से एफएसएस को डी-स्लजिंग के स्थान से किसी अधिसूचित स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाना;

(xxiv) **''ट्रीटमेंट''** से तात्पर्य है–प्रदूषण को कम करने या उसकी रोकथाम के लिए एफएसएस/सीवेज/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी लक्षणों में परिवर्तन करने के लिए बनाई गई कोई वैज्ञानिक विधि या प्रक्रिया;

(xxv) **''वैक्यूम टैंकर''** एक ऐसा वाहन है जिसमें एफएसएस को ओएसएस से वायु द्वारा खींचने के लिए बनाया गया पंप व टैंक होता है। इन वाहनों का उपयोग डी–स्लज किये गये एफ.एस.एस. के परिवहन के लिए भी किया जाता है;

(xxvi) **''अपशिष्ठ जल''** से तात्पर्य है–घरेलू/व्यावसायिक मानव गतिविधि से आने वाला तरल अपशिष्ट, जिसमें शौचालय, रसोईघर और साफ-सफाई की गतिविधि शामिल है, किंतु विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि से आने वाला अपशिष्ट शामिल नहीं हैं। आमतौर पर, यह मल जल बरसाती जल (स्टॉर्म वॉटर) के लिए बनी नालियों से प्रवाहित किया जाता है, इस प्रकार इसमें बरसाती जल भी शामिल होता है। इन विनियमों में प्रयुक्त और इन विनियमों में अपरिभाषित और यहां इसमें ऊपर अपरिभाषित किंतु समय-समय पर लागू अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून में परिभाषित अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों से क्रमशः अधिनियम या कानून में निर्दिष्ट अर्थ अभिप्रेत होगा और ऐसा न होने पर, उनसे जल आपूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट/निपटान उद्योग में सामान्यतः समझा जाने वाला अर्थ अभिप्रेत होगा।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल प्रबंधन

3–परिसर के अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निपटान–

प्रत्येक संपत्ति मालिक/धारक (आवासीय और वाणिज्यिक, प्रस्तावित या मौजूदा सहित किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल का निम्नलिखित में से किसी एक या एकाधिक तरीकों से ट्रीटमेंट अथवा निपटान किया जाता है, अर्थात्:

(i) यदि परिसर की सीमा से सीवर 30 (तीस) मीटर के भीतर या यथा व्यवहार्य किसी अन्य दूरी पर उपलब्ध है, संपत्ति को शुल्क (यदि कोई हो) के भुगतान पर और यथा अपेक्षित अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सीवरेज प्रणाली से जोड़े।

(ii) अपशिष्ट जल को बीएनपीपी द्वारा अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र ट्रीटमेंट सुविधा में प्रवाहित किया जाये।

(iii) जिस संपत्ति से प्रति दिन 10 हज़ार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है और जिसके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र है, वहां एक डीडब्ल्यूडब्ल्यूटी संस्थापित करेगा ताकि संपत्ति में उत्पन्न अपशिष्ट का ट्रीटमेंट किया जा सके। संपत्ति मालिक/मालकिन, ट्रीटेड अपशिष्ट जल का बागवानी/फ्लशिंग के लिए पुनः उपयोग कर, इस प्रकार ताजे जल पर निर्भरता को कम करना सुनिश्चित करेगा।

(iv) परिसर का अपशिष्ट जल ओ.एस.एस. में डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका कोई आउसटलेट न हो।

अध्याय-III

ऑनसाईट स्वच्छता व्यवस्थाएं

4–ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रख-रखाव–

(i) ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथाः आशोधित ''मैन्युअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013, सीपीएचईईओ' के प्रावधानों के अनुसार अथवा B.N.P.P. या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे।

(ii) ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति का मालिक/धारक, उससे निकलने वाले एफ0एस0एस0 की देख-रेख, रख-रखाव और सुरक्षित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) परिसर का मालिक/धारक B.N.P.P. द्वारा यथाः निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष) में डी-स्लजिंग कराएगा।

(iv) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ओ0एस0एस0 में खराबी अथवा गलत निर्माण के कारण एफ0एस0एस0 के खुले क्षेत्र में सीधे प्रवाह या नाली में प्रवाहित होने के कारण पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो।

(v) परिसर का मालिक/धारक यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेअर या B.N.P.P. के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मी के द्वारा पर्याप्त सुरक्षित उपायों को अपनाते हुए ओएसएस को यांत्रिक रूप से साफ किया जाए और इस प्रयोजन के लिए कोई मैनुअल सफाई न की जाए।

(vi) B.N.P.P. या इसके निर्दिष्ट अधिकारी को गैर-अनुपालन के लिए परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। B.N.P.P. परिसर के मालिक/धारक को एक समय सीमा के भीतर अपनी लागत पर फीकल स्लज़, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल (F.S.S.W.) के प्रबंधन और निपटान से संबंधित रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुपालन में सुधार करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है।

(vii) B.N.P.P. अपने विवेक से, संपत्ति मालिक/धारक को रेट्रोफिटिंग/गैर-अनुरूपी प्रणालियों में सुधार करने और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहन दे सकती है।

अध्याय-IV

एफएसएस के डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग

5–B.N.P.P. द्वारा लाइसेंस जारी किया जाना–

(i) B.N.P.P., निजी ऑपरेटर(रों) द्वारा स्वामित्व अथवा किराए पर लिए वैक्यूम टैंकर(रों) का पंजीयन करेगा, जो वर्तमान में बिजनौर शहर में डी-स्लजिंग की सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ii) B.N.P.P. अपने कर्मचारियों सहित ऑपरेटरों के लिए इनफॉर्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (आईईसी) गतिविधियां करेगी, जहां उन्हें एफएसएस को सुरक्षित रूप से डी-स्लज और परिवहन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को नियोजित करने के लिए संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद 01 महीने के भीतर किया जाएगा।

(iii) एक बार जब ऑपरेटर को लगता है कि वह लाइसेंस के मापदंडों का सफलतापूर्वक अनुपालन करता है, तो वह इन विनियमों के प्रपत्र-1 का उपयोग करते हुए इसके लिए आवेदन करेगा(करेगी)। यह प्रशिक्षण पूरा होने के अधिकतम 02 महीने के भीतर किया जाएगा।

(iv) B.N.P.P. एफएसएस को डी-स्लज करने और इसके परिवहन के लिए ऑपरेटर को लाइसेंस जारी करेगी।

(v) लाइसेंस इन विनियमों के प्रपत्र-2 में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाएगा, और जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होगा, अन्यथा इसे पहले रद्द नहीं किया गया हो, और इसकी समाप्ति पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा नियम और शर्तों की पूर्ति और निर्धारित शुल्क के भुगतान आधार पर होगा।

(vi) B.N.P.P. आवेदक के स्वामित्व या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर (रों) को पंजीकृत करेगी। बीएनपीपी अपनी संतुष्टि के लिए वाहन का निरीक्षण करेगी। B.N.P.P. को उन वाहनों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है जिनके विषय में B.N.P.P. मानती है कि इन विनियमों के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया हो अथवा जो शहर की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

6–लाइसेंस जारी करने हेतु मापदंड–

(i) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य आवेदक से तात्पर्य इन नियमों के अनुच्छेद 2 (xv) में परिभाषित ''व्यक्ति'' है।

(ii) आवेदक के पास उचित वैक्यूम/सक्शन और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-रहित (लीक-प्रूफ), गंध और छलकल-रोधी (स्पिल-प्रूफ) वैक्यूम टैंकर स्वामित्व में अथवा किराए पर होना/होने चाहिए।

(iii) बिजनौर में परिचालन किए जाने के लिए वाहन के पास परिवहन विभाग का वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

(iv) आवेदक B.N.P.P. के साथ अपने वैक्यूम टैंकर(रों) को पंजीकृत करेगा।

(v) आवेदक यह शपथ करेगा कि उसके द्वारा स्वामित्व में अथवा किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर, इन नियमों के अनुच्छेद-15 में उल्लिखित मापदंडों को पूरा करते हैं।

(vi) आवेदक B.N.P.P. अथवा B.N.P.P. द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए श्रमिकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा।

(vii) आवेदक सुरक्षा गियरों और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पी0पी0ई0) के साथ श्रमिकों को लैस करने का कार्य करेगा, जो कि अधिसूचित स्थानों से एफएसएस के सुरक्षित रूप से डी-स्लज, परिवहन और निपटान करने के लिए जरूरी होगा। ये आवश्यक पीपीई इस विनियम के परिशिष्ट में उल्लिखित सूची के अनुसार होगा।

7–लाइसेंस के लिए आवेदन–

एफएसएस के डी-स्लज, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन, इसके नियम और शर्तों सहित इन विनियमों के प्रपत्र-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में और B.N.P.P. के निर्दिष्ट अधिकारी (रियों) द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

8–लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को आमंत्रण–

बीएनपीपी अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समय-समय पर, संभावित आवेदकों को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी।

9–लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क–

B.N.P.P. लाइसेंस प्रदान करने के लिए, आवेदन को प्रक्रियागत करने हेतु समय-समय पर निर्धारित आवेदन-शुल्क प्रभारित कर सकती है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा B.N.P.P. के पक्ष में डिमांड-ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

10–परफॉरमेंस गारंटी–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर, बैंक गारंटी के तौर पर परफॉरमेंस (कार्य-प्रदर्शन) गारंटी की निर्धारित राशि जमा करेगा जैसा कि B.N.P.P. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसे विनियमों के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में जब्त कर लिया जाएगा।

11–लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का प्रचार–

B.N.P.P. समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर(ओं) को अपनी वेबसाइट पर और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार प्रदान करेगी।

12–जागरूकता अभियान–

B.N.P.P. इन नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी, साथ ही साथ एफएसएस को डी-स्लज, परिवहन और निपटान हेतु केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को संलग्न करने की आवश्यकता के बारे में भी जागरूक करेगी।

अध्याय-V

एफएसएस की डी–स्लजिंग एवं परिवहन

13–संपत्ति का मालिक/धारक केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को ही संलग्न करेगा–

(i) एफएसएस की डी-स्लजिंग और परिवहन के लिए B.N.P.P. के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या B.N.P.P. के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों की सेवाओं को संलग्न करना संपत्ति के प्रत्येक मालिक/धारक का कर्तव्य होगा।

(ii) मालिक/धारक इस बात की पुष्टि करेगा(करेगी) कि डी स्लजर(रों) को जारी किया गया लाइसेंस, कार्य के निष्पादन की तारीख तक वैध है। वह इन विनियमों के प्रपत्र-3 में निर्धारित एफएसएस की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान के रिकॉर्ड फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा(करेगी)।

14. एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं परिवहन के लिए शुल्क–

(i) एफएसएस को डी स्जल करने और इसके अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए शुल्क को B.N.P.P. के निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) जब B.N.P.P. शहर में शेड्यूल्ड डी-स्लजिंग के कार्य को कार्यान्वित करने का निर्णय लेगी, तब डी-स्लजिंग शुल्क को 'सैनिटेशन चार्ज' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अथवा इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर B.N.P.P द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर B.N.P.P द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक, संपत्ति के मालिक/धारक से कोई राशि वसूल नहीं करेगा(करेगी)।

(iv) एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक किसी भी शुल्क की मांग, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर को उनके लाइसेंस रद्द किये जाने के लिए जिम्मेदार बनाएगा और इन विनियमों के उल्लंघन के लिए उन पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15–एफएसएस के परिवहन के लिए वाहन–

(i) एफएसएस को केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर(रों), या B.N.P.P. के प्रशिक्षित स्वच्छता कार्मियों द्वारा ही डी-स्जल एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन किया जाएगा।

(ii) वैक्यूम टैंकर(रों) को 6 महीने की अवधि के लिए पंजीकृत किया जा सकता है, भले ही सभी आवश्यक शर्तें पूरी न की गई हों। ऐसे मामलों में, संबंधित ऑपरेटर को इस निश्चित् समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को अपग्रेड करना होगा।

(iii) एफएसएस के सुरक्षित और कुशल परिवहन के लिए वाहनों को केवल निर्दिष्ट मार्गों (जैसा कि समय-समय पर B.N.P.P. द्वारा चिन्हित किया जाएगा) पर ही चलना होगा।

(iv) एफएसएस की डी-स्लजिंग एवं अधिसूचित स्थानों तक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर B.N.P.P द्वारा जारी किये गए ऑपरेटर लाइसेंस एवं पंजीकरण की एक प्रति (कापी) प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

(v) वैक्यूम टैंकर को पीले रंग से रंगा जाएगा तथा लाल रंग में ''सेप्टिक टैंक वेस्ट'' (SEPTIC TANK WASTE) (अंग्रेजी में) व ''मलकुंड अपशिष्ट'' (हिन्दी में) लिखकर (सावधानियों को) चिन्हित किया जाएगा।

(vi) एफएसएस के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक वाहन में एक जीपीएस उपकरण लगाया जाएगा, और निर्दिष्ट अधिकारी और B.N.P.P. द्वारा अधिसूचित एजेंसी को ऐसे वाहनों के ट्रैकिंग के लिए इसके एक्सेस/पहुंच अधिकार दिए जाएंगे।

16–परिवहन के दौरान सावधानियां–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा(करेगी) कि डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान एफएसएस का कोई रिसाव/छलकाव नहीं हो।

17–दुर्घटना के मामले में सुरक्षात्कम उपाय–

एफएसएस को डी-स्लजिंग के स्थान से निपटान के अधिसूचित स्थान के बीच परिवहन के दौरान प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा।

18–दुर्घटना के होने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर की जिम्मेदारी/देयता–

किसी भी दुर्घटना या आपदा के होने की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को हुए किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर पूरी तरह से और पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होगा(होगी), और पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा(होगी), यदि इसे किसी प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा प्रभारित किया जाता है।

19–तैनात कर्मी(यों) के लिए सुरक्षा-उपाय–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपायों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हाथ चालित गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षात्मक गियर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क, और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि शामिल हैं, और ऐसे अन्य उपायों को प्रदान करने के लिए भी जिन्हें इन विनियमों के साथ-साथ ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' में तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

20. एफएसएस का निपटान

(i) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर समय-समय पर B.N.P.P. द्वारा अधिसूचित स्थानों पर ही एफएसएस का निपटान करेगा(करेगी)।

(ii) लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर विधिवत् तौर पर भरा और हस्ताक्षरित किया एफएसएस की डी-स्लजिंग, परिवहन एवं निपटान का रिकॉर्ड फॉर्म B.N.P.P के निर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगा (करेगी)।

21–कर्मियों का प्रशिक्षण–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर एफएसएस के डी-स्लजिंग, परिवहन और निपटान में तैनात कर्मी(यों) के आवधिक प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होगा(होगी)।

22–कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच–

लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा(होगी) कि प्रत्येक कर्मी की, जिन्हें ऐसे कार्य में नियोजित किया गया है, प्रति वर्ष कम-से-कम दो बार स्वास्थ्य जांच की जाती हो और इसका प्रलेख B.N.P.P. को प्रस्तुत किया जाता हो, ऐसा नहीं किए जाने पर लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिए उत्तरदायी होगा(होगी), जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जाता हो।

23–बीमा–

एफएसएस को डी-स्लज, परिवहन करने और निपटान की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा तैनात कर्मी(यों) को पीड़ितों/उनके कानूनी वारिसों को ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम–2013'' और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन एवं अन्य बनाम भारतीय संघ एवं अन्य) में अपेक्स कोर्ट के आदेश दिनांक 27 मार्च, 2014 के तहत मुआवजा देने के लिए बीमा किया जाएगा।

24–लाइसेंस रद्द करना–

इन विनियमों सहित ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम–2013'' के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदंड देने के लिए उत्तरदायी होगा(होगी), जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, जिसमें लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारी(यों) की सिफारिश के अनुसार परफॉरमेंस गारंटी को जब्त करना शामिल है।

अध्याय-VI

एफएसएसडब्ल्यू के उपचार एवं पुनःउपयोग/निपटान

25–उपचार/निपटान स्थल(लों) की पहचान–

B.N.P.P. ऐसे स्थान(नों) की पहचान करेगी और अधिसूचित करेगी, जहां एफएसएसडब्ल्यू को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों या B.N.P.P. के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा उपचार/निपटान किया जाएगा।

26–एफएसएसडब्ल्यू की प्राप्ति हेतु अधोसंरचना का सृजन–

B.N.P.P. आवश्यक बुनियादी अधोसंरचना तैयार करेगी और पंजीकृत वाहन(नों) द्वारा लाए गए एफएस एसडब्ल्यू के उपचार/निपटान की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थानों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगी।

27–एफएसएस प्राप्त करने के लिए कर्मियों की तैनाती–

प्रत्येक अधिसूचित स्थानों पर एफएसएस प्राप्त करने और इसे संबंधित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने हेतु बीएनपीपी पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करेगी।

28–एफएसएस प्राप्ति का समय–

B.N.P.P. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित घंटे के दौरान प्रत्येक अधिसूचित स्थान(नों) पर B.N.P.P. के तैनात कर्मियों द्वारा एफएसएस प्राप्त किया जाएगा।

29–औद्योगिक अपशिष्टों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए–

औद्योगिक अपशिष्ट युक्त एफएसएस को अधिसूचित स्थान(नों) पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

30. एफएसएसएम में प्रशिक्षण–

बीएनपीपी द्वारा अधिसूचित स्थान(नों) पर तैनात कर्मियों को एफएसएस प्राप्त करने और उपचार/निपटान के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

31–उपचारित एफएसएसडब्ल्यू का पुनः उपयोग–

(i) B.N.P.P. किसानों को अनुपचारित एफएसएसडब्ल्यू के कृषि अनुप्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावर्णीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरुक करेगी, और एफएसएसटीपी से उपचारित एफएसएसडब्ल्यू का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(ii) B.N.P.P. शहर में डीडब्ल्यूडब्ल्यूटी से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग बागवानी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगी, जिसमें ताजे पानी के बदले में इसका उपयोग किया जा सकता है।

(iii) किसी भी निर्माण गतिविधि के परियोजना प्रस्तावक परियोजना के आस-पास के क्षेत्र (01 किमी के दायरे) में उपलब्ध किसी भी उपचारित अपशिष्ट-जल का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिए करेंगे। केवल उपचारित अपशिष्ट-जल की अपर्याप्त उपलब्धता/अनुपलब्धता के मामलों में, प्रस्तावक अन्य उपलब्ध विकल्पों का पता लगाने और इस हेतु अनुमोदन लेने के लिए बीएनपीपी से परामर्श करेगा।

अध्याय-VII
प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन

32–प्रशासनिक नियंत्रण और प्रवर्तन–

(i) इन नियमों के प्रशासनिक और प्रवर्तन अधिकार अधिशासी अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित हैं, जिन्हें विधिवत् तौर पर अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ii) डी-स्लजिंग, परिवहन या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए B.N.P.P. समय-समय पर उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित और अधिसूचित कर सकती है। इसकी लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं हेतु भुगतान करना होगा।

33–निरीक्षण के लिए विशेष अधिकार–

इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्य से, B.N.P.P. के पास किसी भी समय किसी भी परिसर, परिवहन वाहनों और एफएसएसडब्ल्यू उपचार सुविधा के निरीक्षण का अधिकार होगा।

34–उल्लंघन और दंड–

(i) इन नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के दोषी किसी भी व्यक्ति को इसके अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए जिम्मेदार होगा(होगी), यदि ऐसा व्यक्ति – (क) उल्लंघन करता है अथवा इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है; (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी अधिकार के निर्वहन अथवा किसी भी कर्तव्य के अनुपालन में उसे सौंपे गए अधिकार के तहत कार्य करने वाले B.N.P.P. के किसी निर्दिष्ट अधिकारी या अन्य अधिकारी के साथ बाधा, रोक या हस्तक्षेप करता है; (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर को डी–स्लज करने के लिए हाथ से किए जाने वाले कार्य का सहारा लेता है।

(iii) इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट में इंगित राशि के साथ और संबंधित कानून के तहत मुकदमा चलाकर दंडित किया जाएगा, और साथ ही एफएसएस परिवहन वाहन, एफएसएसडब्ल्यू उपचार सुविधा या संपत्ति को जब्त किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(iv) जहां कहीं ऐसे किसी भी मामले में, जिसमें परिशिष्ट में स्पष्ट रूप से जुर्माना इंगित नहीं किया गया है, दोषी पाए गए व्यक्ति को पांच हजार भारतीय रुपए (रु0 5,000.00) के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा और इसके बाद निरंतर उल्लंघन के मामले में एक हजार भारतीय रुपये (रु0 1,000.00) प्रति दिन की दर से एक अतिरिक्त जुर्माना राशि के साथ ऐसे जारी उल्लंघन के लिए उस अवधि हेतु दंडित किया जाएगा।

(v) संदेह के समाधान के लिए, एतद घोषित किया जाता है कि इन विनियमों में स्पष्ट तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी भी अन्य संबंधित अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और दंडित होने से नहीं रोका जा सकता है, जो उस समय लागू हो तथा जिन्हें ऐसे कृत्य अथवा चूक हेतु इन नियमों के तहत दंडनीय किया गया है।

35–अपील–

कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के तहत B.N.P.P. के किसी निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो, अधिशासी अधिकारी को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता(सकती) है (इन विनियमों के प्रपत्र-4 में संलग्न प्रारूप में) और यदि निर्णय अधिशासी अधिकारी द्वारा किया गया है, तो अपील उस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कार्यबल को प्रस्तुत की जाएगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई थी।

36–विवाद समाधान उपबंध–

कोई भी विवाद, जो इन विनियमों के संचालन के संबंध में उठाया गया हो/उत्पन्न हुआ हो उनका समाधान भारतीय कानूनों के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जिनका अधिकार क्षेत्र केवल बिजनौर शहर होगा।

37–संदर्भ दस्तावेज–

नियमों के कार्यान्वयन और निष्पादन की आसानी के लिए, इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशा-निर्देशों और नीतियों की सूची को संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि वे समय-समय पर संशोधित किए जाएंगे।

38–राज्य सरकार के निर्देश इन विनियमों के पूरक होंगे

राज्य सरकार इन नियमों के प्रवर्तन व निष्पादन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए एफएसएसडब्ल्यूएम के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

विकास कुमार,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, बिजनौर।

कार्यालय, नगर पंचायत पाली, ललितपुर

21 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0/53/न०पं०पाली (2020-21)–नगर पंचायत पाली के बोर्ड बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 के द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव संख्या 408 के अनुपालन में उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1916) की धारा 153 और 296 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत पाली जिला ललितपुर की सीमा हेतु ''उत्तर प्रदेश नगर पंचायत (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2020'' प्रस्तावित करती है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी विन्दु या सभी विन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत पाली, ललितपुर के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 30 दिन के अन्दर दे सकते हैं। जिसका नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा परन्तु 30 दिन के बाद प्राप्त आपत्ति व सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। नगर पंचायत पाली, ललितपुर में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का निस्तारण के पश्चात् उक्त प्रस्तावित ''उत्तर प्रदेश नगर पंचायत (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2020'' उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उत्तर प्रदेश नगर पंचायत (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2020

उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगरपालिका पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत पाली, ललितपुर में ''उत्तर प्रदेश नगर पंचायत (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2020'' कहलायेगी जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–

(1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश नगर पंचायत (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली, 2020'' कही जायेगी।

(2) यह नगर पंचायत पाली, ललितपुर की सीमा में लागू होगा।

(3) यह उपविधि उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत पाली में प्रवृत्त होगा।

2–परिभाषायें–

(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में–

(क) **''अधिनियम''** का तात्पर्य ''उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916'' से है।

(ख) **''वार्षिक मूल्य''** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 में निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य से है।

(ग) **''फर्शी क्षेत्रफल''** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण (एक) में निर्दिष्ट फर्शी क्षेत्रफल से है।

(घ) **''आच्छादित क्षेत्रफल''** का तात्पर्य कुर्सी क्षेत्र के ऊपर प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है जिस पर भवन निर्मित हो।

(ड़) **''प्रपत्र''** का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न किसी प्रपत्र से है।

(च) **''भवन समूह''** का तात्पर्य नियम-4 के अधीन उल्लिखित भवन समूह से है।

(छ) **''भू समूह''** का तात्पर्य नियम-4 के अधीन उल्लिखित भू-समूह से है।

(ज) **''कच्चा भवन''** का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो पक्का भवन न हो।

(झ) **''मासिक किराया दर''** का तात्पर्य नियम 5 के अनुसार अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित, यथास्थिति किसी भवन के फर्शी क्षेत्रफल या भूमि के प्रति वर्गफुट मासिक किराया से है।

(ञ) **''नगर पंचायत''** का तात्पर्य नगर पंचायत पाली से है।

(ट) **''अनावासीय भवन''** का तात्पर्य ऐसे किसी भवन या स्थान या भूमि या गृह या उसके आंशिक भाग से है जो आवासिक न हो और जो अधिनियम की धारा 140 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अधीन आच्छादित हो।

(ठ) **''अधिसूचित बैंक''** का तात्पर्य स्वः निर्धारण विवरण के साथ कर धनराशि को जमा करने के लिये अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिसूचित बैंक या बैंकों से है।

(ड) **''अन्य पक्का भवन''** का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जिसकी दीवार पक्की हो और छत, एस्बेस्टस शीट या फाइबर, ग्लास या ऐसी ही अन्य प्रकार की सामग्रियों से तैयार हो और फर्श में मार्बल, टाईल्स, मौजेक या उसी प्रकार की अन्य सामग्रियों का प्रयोग न किया गया हो।

(ढ) **''पक्का भवन''** का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जिसकी दीवारें ईंट या पत्थर या अन्य सामान सामग्री से निर्मित हो अथवा जिसके आधार खम्भे आदि स्टील, लौह, ग्लास या अन्य समान प्रकार की धातुओं से निर्मित हो।

(ण) **''सम्पत्ति''** का तात्पर्य यथास्थिति, किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(त) **''आवासिक भवन''** का तात्पर्य ऐसे भवन से है जिसकी प्रत्येक इकाई उसमें रहने वाले किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो और उनमें ऐसा कोई भवन सम्मिलित होगा जिनमें आवासिक उपयोग का उपबंध हो किन्तु जिसमें वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किया जा रहा कोई होटल, लाज या कोई अन्य भवन सम्मिलित नहीं होगा।

(थ) **''स्वः निर्धारण विवरण''** का तात्पर्य किसी स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र ''क'' या ''ग'' में भरे जाने वाले स्वः निर्धारण विवरण से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त एवं अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

3–किसी भवन या भू-खण्ड के फर्शी क्षेत्रफल और अन्य क्षेत्र का विवरण–

(1) अधिशासी अधिकारी, कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर करों के भुगतान के लिये दायी स्वामियों या अध्यासियों से प्रपत्र ''ख'' और प्रपत्र ''घ'' में यथास्थिति आवासिक भवन या भू-खण्ड के फर्सी क्षेत्रफल और अन्य क्षेत्रफल या अनावासिक भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक दो वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिये प्रपत्र ''ख'' और ''घ'' में विवरण प्रस्तुत करने के लिये नगर के विभिन्न वार्डों के लिये विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।

(3) जब कभी स्वामी द्वारा अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाय या इसके विपरीत हो, तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिये प्रपत्र ''ख'' और ''घ'' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

(4) जब कभी निर्माण या पुनर्निर्माण के कारण आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या उससे अधिक का सम्बद्धन किया जाता है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से साठ दिन के भीतर, यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिये प्रपत्र ''ख'' और ''घ'' में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

4–सम्पत्ति का वर्गीकरण–

(1) अधिशासी अधिकारी, अधिनियम की धारा 140 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर चार विभिन्न प्रकार के मार्गों पर सम्पत्ति की अवस्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात :–

(क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग,

(ख) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग,

(ग) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग,

(घ) 9 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग,

(2) अधिशासी अधिकारी, अधिनियम की धारा 140 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा–

(क) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित,

(ख) अन्य पक्का भवन,

(ग) कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है।

(3) अधिशासी अधिकारी, तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाए गये अनुसार समस्त भवनों को अधिकतम बारह विभिन्न समूहों की संख्या में और समस्त रिक्त भू-खण्डों के मामले में अधिकतम चार विभिन्न समूहों की संख्या में व्यवस्थित करेगा–

(क) भवन के मामले में निम्नलिखित बारह समूह होंगे–

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(चार) 9 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(पांच) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(छः) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(सात) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(आठ) 9 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(नौ) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य कच्चा भवन।

(दस) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ग्यारह) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(बारह) 9 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ख) भूमि के मामलों में निम्नलिखित चार समूह होंगे–

(एक) 24 मीटर से अधिक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(चार) 9 मीटर तक के चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

5–न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण–

(1) अधिशासी अधिकारी, वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार यथास्थिति प्रत्येक भवन समूह के लिये फर्शी क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (रुपये प्रति वर्गफुट) हेतु न्यूनतम मासिक किराये की दर या प्रत्येक भूमि समूह के लिये क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर की गणना करेगा और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुये आवासिक भवन या भूमि के रूप में किराया दर नियत करेगा–

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर, और

(ख) ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्र में वर्तमान न्यूनतम किराया दर :

परन्तु यह कि ऐसे मासिक किराये की दर प्रति इकाई क्षेत्रफल नियत करने के पूर्व अधिशासी अधिकारी ऐसी प्रस्तावित दरों को नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिये न्यूनतम पन्द्रह दिन का समय देगा। किसी बार्ड में प्राप्त आपत्तियों का भिन्न-भिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के

पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिये प्राप्त आपत्तियां अन्तर्विष्ट रहेंगी। समस्त आपत्तियों का निस्तारण, अधिशासी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि समस्त आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय।आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चय किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– भवन, भूमि या दोनों के स्वकर निर्धारण के प्रयोजनार्थ 80 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्रफल को फर्शी क्षेत्रफल के रूप में माना जा सकता है।

(2) अनावासिक भवनों और भूमि के मामले में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उपनियम (1) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है–

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1	2	3
1	सरकारी अथवा गैर सरकारी छात्रावास, स्वीमिंग पूल, क्रीडा केन्द्र तथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर जिनका प्रयोग मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु होता हो, जिसमें वैवाहिक समारोहों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, संगीत एवं नृत्यकेन्द्र, सूक्ष्म एवं लघु औद्यौगिक इकाईयां (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), एकल स्क्रीन सिनेमाघर (जो माल्स में स्थित नहीं है), 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल तक की चाय, दूध डबलरोटी, अंडों, धोबी, लांड्री, फल, सब्जी, फोटो स्टेट, नाई/हेयर ड्रेसर (जिनमें दो से अधिक बाल काटने की कुर्सियां न हों और जिसमें वातानुकूलन/कूलर का उपयोग न होता हो) तथा दर्जी की दुकान।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान
2	महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं वृहद् उद्योग (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), मेडिकल स्टोर, प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित स्पोर्ट काम्पलैक्स, टेंट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और गैर सरकारी कोचिंग सेंटर।	उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का दो गुना
3	सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय भवन, सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय निगम और बोर्ड आदि क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, पैथोलाजी लैब, नर्सिंग होम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र, फिजियोथिरैपी केन्द्र, प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडीकल कालेज एवं डेंटल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्ध संस्थान, विधि संस्थान एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब/विवाह घर, आडीटोरियम (प्रेक्षागृह) सामुदायिक केन्द्र, स्टाररहित होटल, एक सितारा और उससे ऊपर के होटल, टावर और होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टावर, दूर संचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं, बैंक, बैंक ए०टी०एम०, फाइनेंस कम्पनियां, निजी क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, माल्स, पब्स, बार, वासगृह जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का तीन गुना
4	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणी में उल्लिखित नहीं है।	उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का तीन गुना

नोट–

1–200 वर्गफुट में निर्मित कच्चा, अर्द्धकच्चा एवं पक्का मकान कर मुक्त रहेगा।

2–विधवा, विकलांग, बेसहारा एवं अन्त्योदय परिवार कर मुक्त रहेगें।

3–सम्पत्ति की स्वामिनी महिला होने पर कर की दर आधी होगी।

4–10वर्ष से अधिक तथा 20वर्ष तक पुराना मकान होने पर कर की दर में 20% तक छूट दी जायेगी।

5–20वर्ष से अधिक तथा 50वर्ष तक पुराना मकान होने पर कर की दर में 30% तक छूट दी जायेगी।

6–50वर्ष से अधिक पुराना मकान होने पर कर की दर में 50% तक छूट दी जायेगी।

7–प्रत्येक भवन (आवासीय-अनावासीय) के भू-तल की दरों के सापेक्ष प्रथम तल की दरें आधी, द्वितीय तल की दरें एक चौथाई तथा इसी प्रकार अन्य तलों में क्रमशः घटती जायेंगी। इसी प्रकार पृथ्वी के अन्दर की दरें भी क्रमशः घटती जायेंगी।

(3) नगर पंचायत को, उपनियम (2) की अनुसूची की श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के अधीन गुणांक बढ़ाने का अधिकार होगा। वह संकल्प द्वारा उसे उपनियम (1) के अधीन आवासिक भवनों हेतु नियत दर का क्रमशः तीन गुना और चार गुना तक नियत कर सकेगा।

6–न्यूनतम मासिक किराये की दर का प्रकाशन–

जब नियम 5 के अधीन आपत्तियों का विनिश्चय कर लिया जाये तो अधिशासी अधिकारी ऐसे नगर में परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में यथास्थिति, वार्ड के भीतर भवनों के प्रत्येक समूह के लिये, फर्शी क्षेत्रफल के प्रतिवर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिये क्षेत्रफल के प्रति वर्गफुट लागू किराये की न्यूनतम मासिक दर अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् यह अंतिम हो जायेगी।

7–कर निर्धारण–

(1) कर का निर्धारण निम्नलिखित के आधार पर किया जायेगा–

(क) (एक) आवासीय भवन के वार्षिक मूल्य की गणना–

फर्शी क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80% × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

(दो) आवासिक भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना–

भूमि का क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

(ख) (एक) अनावासिक भवन के वार्षिक मूल्य की गणना–

आच्छादित क्षेत्रफल × आवासिक भवन की दर के गुणांक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर × 12

(दो) अनावासिक भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना–

भूमि का क्षेत्रफल × आवासिक भूमि की दर के गुणांक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर × 12

(2) **संदेय कर**–अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियत दरों के अनुसार कर वार्षिक मूल्य के आधार पर संदेय होंगे।

(3) **सेवा प्रभार**–उपनियम (2) के आधार पर निर्धारित कर के 75%, 50% या 33.33% दर पर आगणित सेवा प्रभार नगर पंचायत के माध्यम से उपबंधित पूर्ण या आंशिक या शून्य सेवाओं के उपयोग के आधार भारत संघ या उसके विभागों द्वारा संदेय होंगे। भारत संघ या उसके विभागों द्वारा पूर्ण या आंशिक सेवाओं पर सेवा प्रभार उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 4 गुना होगा।

(4) **स्वः निर्धारण**–भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर भुगतान के लिये मुख्यतः दायी व्यक्ति, नियम 4 और नियम 7 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित कर, नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के साथ यथास्थिति प्रपत्र

'क' या प्रपत्र 'ग' में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुये अधिशासी अधिकारी द्वारा विहित अधिसूचित बैंकों या अन्य स्थानों में नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक चालान के साथ जमा करेगा।

(5) **प्रोत्साहन**–अनावासिक भवनों के स्वामियों या अध्यासियों को प्रोत्साहन यथास्थिति, भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य में निम्नलिखित रीति से प्रदान किया जा सकता है,

(क) ऐसे भवन, जिसमें वर्षा जल संचयन या भू-गर्भ जल संभरण की प्रणाली संस्थित हो और प्रचालन में हो या कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्रफल वृक्षारोपण और हरियाली द्वारा आच्छादित हो या समुचित और पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो या यदि व्यापार या विनिर्माण या ऐसे अन्य क्रियाकलापों में लगा हो जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता हो किन्तु प्रभाव कारी प्रदूषणरोधी उपाय अपनाये गये हों तो उसके वार्षिक मूल्य में प्रत्येक हेतु 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुये प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

परन्तु यह कि उपर्युक्त प्रोत्साहन इस खण्ड में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता और उनके उचित रखरखाव का सत्यापन करने के पश्चात वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान किये जायेंगे।

(ख) खण्ड(क) में यथा उल्लिखित ऐसे भवन के वार्षिक मूल्य में प्रत्येक हेतु 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी, यदि उक्त भवन में खण्ड (क) में उल्लिखित उपाय उपबंधित न किये गये हों।

8–निर्धारण सूची–

(1) समस्त भवनों या भूमियों या दोनों के सम्बन्ध में निर्धारण सूची कर गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी–

(क) भवनों तथा भूमियों के संबंधित स्वामियों या अध्यासियों द्वारा प्रपत्र 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में प्रस्तुत किये गये विवरण, या

(ख) अधिशासी अधिकारी द्वारा इस निमित्त संग्रहीत सूचना, जहां प्रपत्र क,ख,ग या घ में सूचनायें विहित समय के भीतर प्रस्तुत न की जाय। इस स्थिति में फर्शी क्षेत्रफल की गणना भवन के आच्छादित क्षेत्रफल के 80% के आधार पर की जायेगी।

(ग) निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे–

(एक) सड़क और मोहल्ले, जिनमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम,

(दो) नाम, संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्टि, जो पहचान के लिये पर्याप्त हो, द्वारा सम्पत्ति का अभिधान

(तीन) स्वामी का नाम, चाहे सम्पत्ति स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराये पर हो। यदि किराये पर हो तो, किरायेदार का नाम,

(चार) भवन या भूमि समूह के लिये फर्शी क्षेत्रफल आधारित तथा फर्शी क्षेत्रफल आधारित प्रति वर्गफुट न्यूनतम मासिक किराया दर,

(पांच) भवन का फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों,

(छः) भवन निर्माण का वर्ष,

(सात) भवन निर्माण की प्रकृति,

(2) स्वकर निर्धारण से सम्बन्धित सूची–ऐसे आवासिक भवन, जिनके लिये स्वानिर्धारित कर प्रपत्र-क में और ऐसे अनावासिक भवन जिनके लिये स्वनिर्धारित कर प्रपत्र-ग में विहित समय के भीतर जमा कर दिये गये हों, उपनियम (1) में तैयार की गयी निर्धारण सूची में प्रविष्ट किये जायेंगे।

परन्तु यह कि किसी शिकायत या जांच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

9–सूची का प्रकाशन एवं आपत्तियों की प्राप्ति–

(1) जब सम्पूर्ण नगर या उसके किसी भाग को निर्धारण सूची तैयार हो जाय तब नगर पंचायत या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी, उस स्थान एवं समय के सम्बन्ध में जहां और जब उक्त सूची का निरीक्षण किया जाये, ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उसे प्रकाशित करायेगा।

(2) भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल की गणना या अन्य प्रविष्टियों तथा छूटों के सम्बन्ध में आपत्तियां, अधिशासी अधिकारी को संबोधित करके सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किये जाने के पश्चात् एक माह की अवधि के भीतर लिखित रूप में प्रेषित की जायेगी। तत्पश्चात मासिक किराया दर के निर्धारण से सम्बन्धित किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) नगर पंचायत या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी, आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

10–करों का भुगतान–

अधिशासी अधिकारी, नियम 4, 7 और 8 के अधीन भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित कर भुगतान हेतु स्वामी या अध्यासी को, उस रीति से जैसा कि वह उचित समझे बिल भेजेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक उपदर्शित किया जाययेगाॉ जब तक यह अधिसूचित बैंकों या नगर पंचायत के कार्यालय में जमा किया जायेगा। यदि विहित दिनांक तक कर की सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उस धनराशि पर, जो असंदत्त रह गयी हो, बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, कर भुगतान के लिये निर्धारित दिनांक से भुगतान के दिनांक तक संदेय होगा।

11–स्वकर निर्धारण–

भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिये मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर स्वयं अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित कर को स्वः निर्धारण विवरण के साथ आनलाइन, पैक, संदाय आदेश या अन्य उपयुक्त ढंग से अधिसूचित बैंक या नगर पंचायत कार्यालय में जमा कर सकता है।

12–शास्ति–

(1) अधिशासी अधिकारी यथास्थिति, प्रस्तुत किये गये भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के विवरणों या स्वः निर्धारण के अन्य विवरणों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत विवरणों की यादि्च्छक जांच की व्यवस्था करेगा और ऐसे मामलों में जहां भवन के फर्शी क्षेत्रफल या आच्छादित क्षेत्रफल के किसी भाग या भूमि के क्षेत्रफल के किसी भाग को छिपाया गया हो या तदसंबंध में त्रुटि पूर्ण विवरण दिया गया हो, वहां वह यथास्थिति स्वामी या अध्यासी को दो सप्ताह के भीतर यह कारण बताने का नोटिस जारी करेगा कि क्यों न क्षेत्रफल को छुपाने अथवा सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण कर में होने वाले अन्तर के अनधिक चार गुने की शास्ति अधिरोपित की जाय।

(2) यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी द्वारा दिये जाने वाले किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच जैसा कि वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् अधिशासी अधिकारी ऐसी शास्ति जो नोटिस के अनुसार अधिक न हो, अधिरोपित कर सकता है और कर धनराशि के साथ उसे वसूल किये जाने का आदेश दे सकता है।

(3) नियम 3 के उपनियम (1) और (3) के अधीन नियत समय के भीतर अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में, अधिशासी अधिकारी ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो भूमि के क्षेत्रफल 50 वर्ग मी०, 200 वर्ग मी०, 400 वर्ग मी० तक तथा उससे अधिक होने पर क्रमशः रु0 100.00, रु0 1,000.00, रु0 5,000.00 तथा रु0 25,000.00 हो सकती है। परन्तु यह कि 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में, शास्ति का 5 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में जमा किया जायेगा। नियम 8 के अधीन निर्धारण सूची तैयार करते समय नियत समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में नियम 4 के अधीन प्रस्तावित फर्शी क्षेत्रफल की दरों का प्रयोग शास्ति के अतिरिक्त किया जायेगा।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो नियम 3 के उपनियम (4) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा सम्पत्ति कर की दोगुनी धनराशि अथवा प्रतिदिन रु0 500.00 की दर से, जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा।

13–शास्ति का प्रशमन–

नियम 12 के उपनियम (1), (3) और (4) के अधीन अधिशासी अधिकारी द्वारा शास्तियों का गुणावगुण के आधार पर प्रशमन, शास्ति की अधिकतम धनराशि के एक तिहाई से अन्यून तथा आधे से अनधिक धनराशि पर किया जा सकता है।

14–विशेष उपबन्ध–

(1) नगर पंचायत में स्थित सम्पत्तियों का मूल्यांकन और निर्धारण इस नियमावली के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 06 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा।

(2) नगर पंचायत में करों की बसूली की समीक्षा अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह तीसरे दिनांक तक की जायेगी।

(3) बिल और मांग की नोटिस तामील कराने के अतिरिक्त, मांग तथा संग्रह का विवरण करदाता के मोबाइल फोन पर सन्देश, ई-मेल और अन्य आधुनिक इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लक्ष्य के सापेक्ष कमी होने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी को दण्डित किया जायेगा।

प्रपत्र 'क'

(नियम-7 देखिये)

आवासिक भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर स्व-निर्धारण प्रपत्र

1–स्वामी या अध्यासी का विवरण–

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

(तीन) भवन/गृह/भू-खण्ड संख्या तथा अवस्थिति का पता.....

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता.....

(पांच) अन्य विवरण–यदि कोई हो.....

2–भवन या भूमि का विवरण–

(क) [एक] भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

[दो] खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

[तीन] अन्य ब्यौरा– यदि कोई हो.....

(ख) [एक] समस्त कमरों और समस्त आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)

[दो] समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)

[तीन] समस्त गैराजों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में)

टिप्पणी–स्नानागारों, शौचालयों, पोर्टिको और सीढ़ी द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल फर्शी क्षेत्रफल का भाग नहीं होगा।

(ग) भवन का फर्शी क्षेत्रफल :– ख (एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4ख (तीन)

अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल का 80% [क(एक) × 80%]

3–अवस्थिति का विवरण–

(क) भवन या भूमि अवस्थित है :–

[एक] 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[दो] 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[तीन] 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[चार] 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर ☐

(ख) भवन निर्माण की प्रकृति–

[एक] आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित पक्का भवन ☐

[दो] अन्य पक्का भवन ☐

[तीन] कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित न हों ☐

(ग) भूमि (यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो) अवस्थित है–

[एक] 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

[दो] 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर ☐

[तीन] 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर ☐

[चार] 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर ☐

टिप्पणी–कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4–चाहे भवन स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराये पर हो.....

5–भवन निर्माण का वर्ष.....

6–वार्षिक मूल्य की गणना–

(एक) अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन के लिये निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर (प्रति वर्गफुट)

(दो) अधिशासी अधिकारी द्वारा भूमि के लिये निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर

(तीन) भवन का वार्षिक मूल्य =12 × अधिशाषी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर X भवन का फर्शी क्षेत्रफल = 12 × 6 (एक) × ग

(चार) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 12 × अधिशाषी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर × भूमि का क्षेत्रफल = 12 X 6 (दो) × 2क (दो)

(पांच) धारा 140 (2) (क) में यथा उल्लिखित छूट के पश्चात् स्वामी द्वारा अध्यासित होने की स्थिति में भवन का वार्षिक मूल्य.....

(छ) धारा 140 (2) (ख) में यथा उल्लिखित वृद्धि के पश्चात् किराये पर होने की स्थिति में भवन का वार्षिक मूल्य.....

7–कर की गणना–

(एक) भवन के वार्षिक मूल्य पर कर = $\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य × कर की दर)}}{100}$ =

(दो) भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो =

$\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य × कर की दर)}}{100}$ =

(तीन) जल निकास कर = $\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य} \times \text{कर की दर)}}{100}$ =

8–अधिशाषी अधिकारी द्वारा कर जमा करने हेतु निर्धारित नियत दिनांक.....

9–जमा किये गये कर का विवरण–

क्रम सं0	कर	धनराशि	दिनांक	चालान/रसीद संख्या	बैंक का नाम

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मुहल्ला .....में स्थित भवन संख्या..... भवन यू०आई०डी०.....का स्वामी/अध्यासी एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाये गये हैं और न ही असत्य उल्लिखित हैं।

दिनांक..... हस्ताक्षर.....

पूरा नाम..... स्थायी पता.....

पिन कोड..... दूरभाष/मोबाइल नं०.....

ई-मेल..... अनुप्रमाणक साक्षी.....

नाम..... पिता का नाम.....

पूरा पता.....

प्रपत्र 'ख'

(नियम-3 देखिये)

अनावासीय भवन या भूमि या दोनों के विवरण के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिये प्रपत्र

(उनके लिये जिन्होंने प्रपत्र-क नहीं प्रस्तुत किया है)

1–स्वामी या अध्यासी का विवरण–

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

(तीन) भवन/गृह/भू-खण्ड संख्या और आवासीय पता.....

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता.....

(पांच) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

2–भवन या भूमि का विवरण–

(क) [एक] भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

[दो] खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

[तीन] अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

(ख) [एक] समस्त कमरों और समस्त आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....

[दो] समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....

[तीन] समस्त गैराजों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....

टिप्पणी–स्नानागारों, शौचालयों, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल फर्शी क्षेत्रफल का भाग नहीं होगा।

(ग) भवन का फर्शी क्षेत्रफल– ख (एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4 ख (तीन)

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80% = क(एक) × 80%

3–अवस्थिति का विवरण–

(क) भवन या भूमि अवस्थित है–

[एक] 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्गों पर ☐

[दो] 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर ☐

[तीन] 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर ☐

[चार] 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर ☐

(ख) भवन निर्माण की प्रकृति–

[एक] आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित पक्का भवन ☐

[दो] अन्य पक्का भवन ☐

[तीन] कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित न हों ☐

टिप्पणी–कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4–चाहे भवन स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराये पर हो.....

5–भवन निर्माण का वर्ष.....

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मुहल्ला.....में स्थित भवन/भूमि संख्या..... भवन/भूमि/यू०आई०डी०.....का स्वामी/अध्यासी एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। इसमें दिया गया कोई विवरण न तो छिपाया गया है और न ही असत्य उल्लिखित है।

दिनांक..... पूरा नाम.....

अनुप्रमाणक साक्षी..... स्थायी पता.....

हस्ताक्षर..... पिन कोड.....

नाम..... दूरभाष/मोबाइल नं०.....

पिता का नाम..... ई–मेल.....

पूरा पता..... दूरभाष/मोबाइल नं०.....

प्रपत्र 'ग'

(नियम-7 देखिये)

अनावासिक भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर का स्व-निर्धारण प्रपत्र

1–स्वामी या अध्यासी का विवरण–

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

(तीन) भवन/गृह/भू-खण्ड संख्या तथा अवस्थिति का पता.....

(चार) भवन/भू-खण्ड स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता.....

(पांच) अन्य विवरण– यदि कोई हो.....

2–भवन या भूमि का विवरण–

(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(दो) खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(तीन) अन्य ब्यौरा– यदि कोई हो.....

3–अवस्थिति का विवरण–

(क) भवन या भूमि अवस्थित है–

[एक] 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

[दो] 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

[तीन] 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

[चार] 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

(ख) भवन निर्माण की प्रकृति–

[एक] 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाला पक्का भवन..... ☐

[दो] अन्य पक्का भवन, एस्वेस्टस/फाइवर या टीनशेड..... ☐

[तीन] कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित न हों.... ☐

टिप्पणी–कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4–भवन निर्माण का वर्ष.....

5–पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

6–वार्षिक मूल्य की गणना–

(क) भवन का वार्षिक मूल्य–

[एक] अधिशासी अधिकारी द्वारा आवासिक भवन के लिये निर्धारित मासिक किराया दर.....

[दो] आवासिक भवन की दर से सम्बन्धित गुणांक.....

[तीन] भवन हेतु प्राप्त मासिक किराया दर (एक)×(दो) .....

[चार[भवन का आच्छादित क्षेत्रफल.....

[पांच] भवन का वार्षिक मूल्य= मासिक किराया दर × आच्छादित क्षेत्रफल × 12 (तीन × चार × 12)

(ख) भूमि का वार्षिक मूल्य–

[एक] अधिशासी अधिकारी द्वारा आवासिक भूमि के लिये निर्धारित मासिक किराया दर.....

[दो] नियमावली में विहित आवासिक भूमि की दर से सम्बन्धित गुणांक.....

[तीन] भूमि के लिये प्राप्त मासिक किराया दर (एक) × (दो) .....

[चार] भूमि का क्षेत्रफल.....

[पांच] भवन का वार्षिक मूल्य= मासिक किराया दर × आच्छादित क्षेत्रफल × 12 (तीन × चार × 12)

(ग) कुल वार्षिक मूल्य = (क) (पांच) + (ख) (पांच)

7–कर की गणना–

(एक) भवन के वार्षिक मूल्य पर कर = $\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य × कर की दर)}}{100}$ =.....

(दो) जलकर = $\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य × कर की दर)}}{100}$ =.....

(तीन) जल निकास कर = $\frac{\text{(यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य × कर की दर)}}{100}$ =.....

8–अधिशासी अधिकारी द्वारा कर जमा करने के लिये नियत दिनांक.....

9–जमा किये गये कर का विवरण–

क्रम सं0	कर का नाम	कर की धनराशि	चालान/रसीद संख्या	दिनांक	बैंक/कार्यालय का नाम

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मुहल्ला .....में स्थित भवन संख्या...../भवन यू०आई०डी०.....का स्वामी/अध्यासी.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाये गये हैं और न ही असत्य हैं।

दिनांक..... हस्ताक्षर.....

अनुप्रमाणक साक्षी..... पूरा नाम.....

हस्ताक्षर..... स्थायी पता.....

नाम..... पिन कोड.....

पिता का नाम..... दूरभाष/मोबाइल नं०.....

पूरा पता..... ई-मेल.....

दूरभाष/मोबाइल नं०.....

प्रपत्र 'घ'

(नियम-3 देखिये)

अनावासीय भवन के भवन या भूमि या दोनों के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिये प्रपत्र

(उनके लिये जिन्होंने प्रपत्र-ग नहीं प्रस्तुत किया है)

1–स्वामी या अध्यासी का विवरण–

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....

(तीन) भवन/भू-खण्ड की संख्या और अवस्थिति का पता.....

(चार) स्वामी/अध्यासी का आवासीय पता.....

(पांच) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

2–भवन या भूमि का विवरण–

(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(दो) खुली भूमि या भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....

(तीन) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

3–अवस्थिति का विवरण :–

(क) भवन या भूमि अवस्थित है–

[एक] 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

[दो] 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

[तीन] 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

[चार] 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर..... ☐

(ख) भवन निर्माण की प्रकृति–

[एक] आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित पक्का भवन..... ☐

[दो] अन्य पक्का भवन, एस्वेस्टस/फाइवर या टीनशेड..... ☐

[तीन] कच्चा भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है..... ☐

टिप्पणी–कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगायें।

4–भवन निर्माण का वर्ष.....

5–पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

सत्यापन

मैं.....वार्ड.....के मुहल्ला .....में स्थित भवन संख्या..... /भवन/यू०आई०डी०.....का स्वामी/अध्यासी..... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाये गये हैं और न ही असत्य हैं।

दिनांक.....

अनुप्रमाणक साक्षी.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता का नाम.....

पूरा पता.....

दूरभाष/मोबाइल नं०.....

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

स्थायी पता.....

पिन कोड.....

दूरभाष/मोबाइल नं०.....

ई-मेल.....

राम कुमार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, पालि,
जिला–ललितपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत फाजिल नगर, जनपद कुशीनगर

16 नवम्बर, 2021 ई0

भवन निर्माण उपविधि, 2021

सं0 301/न0पं0फा0-2021-22—नगर पंचायत फाजिलनगर, जनपद—कुशीनगर द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 की सूची—1(क) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत फाजिलनगर, जनपद—कुशीनगर सीमान्तर्गत भवन निर्माण, पुनर्निमाण या परिवर्तन को विनियमित एवं नियन्त्रित करने के उद्देश्य से उपविधि, 2021 तैयार कर प्रतिस्थापित की गयी है। जिसको प्रशासक नगर पंचायत फाजिलनगर ने अपने आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2021 द्वारा स्वीकृति प्रदान की है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत आम नागरिकों से सुझाव/आपत्ति/संशोधन कराये जाने हेतु निम्न दैनिक समाचार-पत्र, "दैनिक जागरण" दिनांक 19 अगस्त, 2021 एवं "हिन्दुस्तान" दिनांक 20 अगस्त, 2021 को प्रकाशित किया गया था। उक्त नियामवली 'भवन निर्माण उपविधि 2021' के सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति न आने के उपरान्त निन्नवत् उपविधि प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

परिभाषायें

1—**संक्षिप्त नाम**—यह नियमावली नगर पंचायत फाजिल नगर, जनपद—कुशीनगर 'भवन निर्माण उपविधि, 2021' कहलायेगी।

2—**प्रसार**—इस उपविधि का प्रसार नगर पंचायत फाजिलनगर, जनपद—कुशीनगर की सम्पूर्ण सीमा (समय-समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित) में होगी।

3—**प्रभाव**—यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4—नगर पंचायत फाजिलनगर का तात्पर्य नगर पंचायत फाजिलनगर कुशीनगर से है।

5—प्रशासक/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत फाजिलनगर के प्रशासक/अध्यक्ष से है।

6—अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत फाजिलनगर में कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

7—नगरपालिका अधिनियम, 1916 से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधित अधिनियम से है।

8—''बेसमेन्ट'' का ताप्तर्य भू-तल के नीचे या अंशतः भू-तल के नीचे के निर्माण से है।

9—''स्टिल्ट फ्लोर'' का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भो (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम दो तरफ से खुली हो, फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 7 फुट हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत होने से है।

10—''आच्छादित क्षेत्रफल'' का तात्पर्य कुर्सी तल के ऊपर आच्छादित तल क्षेत्र से है, जिसके ऊपर भवन निर्माण हो। निम्नलिखित संरचनायें आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत शामिल नहीं होगी—

(क) बाग, राकरी, कुआं एवं कुएं से सम्बन्धित कोई संरचना, प्लान्ट नर्सरी, वाटरपूल, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, पेड़ के चारों प्लेटफार्म, टैंक, फाउन्टेन, बैंच, खुला चबूतरा।

(ख) ड्रेनेज कल्वर्ट, कैच—पिट, गलीपिट, चैम्बर, गटर, आदि।

(ग) चहारदीवारी, प्रवेश द्वार, मंजिल रहित पोर्च एवं पोर्टिको, कैनोपी, स्लाइड, झूला, अनाच्छादित सीढ़ी, अनाच्छादित रैम्प, आदि।

(घ) वाचमैन बूथ, पम्प—हाउस, गारबेज शाफ्ट, विधुत केबिन एवं विभिन्न सेवाओं सें सम्बन्धित ऐसे अन्य 'यूटीलिटीज स्ट्रक्चरर्स'।

11—''तल क्षेत्रफल'' (फ्लोर एरिया) का तात्पर्य भवन के किसी तल पर आच्छादित क्षेत्रफल से हैं।

12—''तल क्षेत्रफल अनुपात'' (एफ0ए0आर0) का तात्पर्य किसी भू-खण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त भागफल से हैं।

13—''निवास योग्य कमरें'' का तात्पर्य अधिभोग के लिए अध्यासित अथवा अभिकल्पित कमरे से है, चाहे यह अध्ययन, रहने, शयन, खाने हेतु हो, किन्तु इसमें रसोई घर, स्नानगृह, शौचालय, बर्तन साफ करने व रखने की जगह और स्टोर रूम, कारीडोर, बेसमेन्ट, बरसाती (अटिक) तथा अन्य स्थान जो प्रायः रहने हेतु प्रयुक्त नहीं किये जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।

14–''आवासीय भवन'' के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होगें, जिसमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो इसमें 'एक' अथवा 'एक से अधिक' आवासीय इकाई शामिल हैं।

15–''व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन'' के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, जो व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे।

16–''व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन'' के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, जो व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होगें।

17–''कुर्सी'' (प्लिन्थ) से तात्पर्य किसी संरचना के उस भाग से है, जो चारों ओर की भूमि की सतह से ठीक ऊपर हो तथा भू-तल के फर्श तक हों।

18–''कुर्सी का क्षेत्रफल'' से तात्पर्य वह निर्मित क्षेत्रफल से है, जो बेसमेन्ट, भू-तल अथवा किसी मंजिल के फर्श तल पर नापा जाये।

19–''सैट-बैक लाइन'' का तात्पर्य भू-खण्ड की सीमाओं के समानान्तर रेखा में है, जो भवन निर्माण उपविधि में निर्दिष्ट की गई हो और जिसके बाहर भू-खण्ड की सीमाओं की ओर कोई निर्माण करना अनुमन्य न हो।

20–''भू-खण्ड'' का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है, जो चारों ओर निश्चित सीमाओं से घिरा हों।

21–''कोने का भू-खण्ड'' का तात्पर्य उस भू-खण्ड से है, जो दो या अधिक परस्पर काटने/मिलने वाली सड़कों पर स्थित हों।

22–''मंजिल'' का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हों।

23–''सड़क'' (स्ट्रीट) का तात्पर्य स्ट्रीट, गली, लेन, पाथ-वे, संकरी गली (ऐले), रास्ते (पैसेज), कैरियर-वे, पगडण्डी (फुट-वे), स्क्वायर, खुले पुल, चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हों या न हो, या जिसके ऊपर जनसाधारण को विकास कार्य के पूरा होने के बाद बिना किसी रोक-टोक के चलने, गुजरने का या आने-जाने का अधिकार हो, चाहे वह किसी योजना में विद्यमान हो या प्रस्तावित हो। उसमें सब प्रकार के बन्धे, स्टार्म वाटर ड्रेन, वर्षा जल के नाले, पुलिया, साइड वाल, ट्रैफिक आइलैण्ड, रिटेनिंग वाल, बैरियर एवं रेलिंग, जो 'राइट-आफ-वे' के भीतर हो, शामिल होगें।

24–''सड़क की चौड़ाई'' का तात्पर्य सड़क की कुल चौड़ाई अथवा 'राइट-आफ-वे' से हैं।

25–''बरामदा'' से तात्पर्य ऐसे आच्छादित क्षेत्रफल से है, जिसमें कम से कम एक पार्श्व बाहर की ओर खुला हो एवं ऊपर के तलों में खुले पार्श्व की ओर अधिकतम एक मीटर ऊचॉई तक के पैरापिट का प्रविधान हो।

26–'भवन की ऊॅचाई' से तात्पर्य आस-पास की भूमि के औसत सतह से भवन के अन्तिम तल के टेरिस से तक की ऊॅचाई से हैं।

आवेदन-पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा–

27–मानचित्रों के चार सेट नियत शुल्क अदा करने की रसीद सहित जमा किये जायेंगे।

28–जमा किये जाने वाले मानचित्रों में 'की प्लान', 'साइट प्लान', 'तलपट मानचित्र' और 'सर्विसेज प्लान' भी शामिल होंगे।

29–समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किये जायेंगे और उनके द्वारा नाम, अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किये जायेंगे इसके अतिरिक्त भू-भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होंगे।

30–नगर पंचायत फाजिल नगर के लाइसेंस प्राप्त ड्राफ्टमैन को भवन मानचित्र प्रस्तुत करने की अनुमति 3000 वर्ग फुट तक होगी। 3000 वर्ग फुट से अधिक की भूमि पर मानचित्र प्रस्तुत करने की अनुमति कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से प्राप्त लाइसेंस आर्किटेक्ट को होगी।

31–भवन के प्लान और एलीवेशन तथा सेक्शन 1:100 से कम पैमाने पर नहीं होंगे, और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाये जायेंगे–

(क) समस्त तलों के तल मानचित्र सहित आच्छादित क्षेत्रफल, कमरों के आकार, जीने, रैम्प (लिफ्ट सहित)।

भवन के प्रत्येक भाग का उपयोग या अधिभोग–

- मूलभूत सेवाओं के वास्तविक स्थान शौचालय, सिंक, बाथ, जल-प्रदाय, जल-निकास तथा मल-निस्तारण हेतु सोक पिट/सैप्टिक टैंक अथवा सीवर लाइन से कनेक्शन।
- जल प्रवाहित शौचालय की व्यवस्था।

सूचनायें एवं दस्तावेज

- पंजीकृत बैनामा की छायाप्रति।
- इन्तखाब।
- आधार कार्ड की छाया प्रति।
- आवेदक/आवेदिका की एक फोटो।
- रु0 10.00 का ई-स्टाम्प पेपर।
- शमन मानचित्र हेतु निर्मित भवन का फोटोग्राफ।

नियम एवं शर्तें

- रु0 100.00 प्रति आवासीय भवन पर मानचित्र दाखिला शुल्क लिया जायेगा।
- रु0 200.00 प्रति व्यावसायिक भवन पर मानचित्र दाखिला शुल्क लिया जायेगा।
- रु0 2.00 प्रति वर्ग फुट शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।
- रु0 4.00 प्रति वर्ग फुट शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित पर लिया जायेगा।

नोट–मानचित स्वीकृत होने के उपरांत आवेदक/आवेदिका को तीन वर्ष के भीतर भवन का निर्माण कर लेना होगा अथवा मानचित्र की अवधि समाप्त हो जाने पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगीं।

सेट-बैक

- **आवासीय/व्यवसायिक भवन**–भू-खण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक भवनों में अधिकतम तीन मंजिल निर्माण अनुमन्य होगा जिसकी अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट के साथ 41 फुट तथा स्टिल्ट के बिना 34 फुट होगी एवं सैट-बैक निम्नवत् होगें–

भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग फुट)	सैट-बैक (फुट)	
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग
1500 तक	3	––
1,501 से अधिक 3,000 तक	5	3
3,001 से अधिक 5,000 तक	10	5

- कोने के भू-खण्ड में सैट-बैक सम्बन्धित भू-खण्ड के फ्रन्ट सैट-बैक के समान होगा।
- भवनों में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- **सैट बैक में छूट**–खुले स्थान में छत/छज्जे का निर्माण किया जा सकता है, जो खुले स्थान की चौड़ाई के आधे से अधिक तथा अधिकतम 3 फुट होगा, परन्तु उक्त छत/छज्जे किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- 3,000 से अधिक प्रस्तावित व्यवसायिक भवन हेतु स्थानीय मुख्य शमन अधिकारी से अग्नि शमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 1,500 से अधिक 3,000 तक के भवनों में पृष्ठ सेट–बैक के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण अनुमन्य होगा।
- 5,000 से अधिक तथा निम्न (संस्थागत/सामुदायिक, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक भवन, कार्यालय भवनों, भण्डारण भवनों, होटल, थोक व्यवसायिक भवनों, चिकित्सा भवनों, सेवा-उद्योग आदि) के मानचित्र की स्वीकृति कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानको के अनुसार प्राधिकरण के अनुमति उपरांत दी जायेगी।
- उक्त आराजी पर भवन निर्माण से पुरातत्व विभाग के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा। आराजी पुरातात्वित क्षेत्र की परिधि से लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित होगी। पुरातात्वित क्षेत्र की परिधि 300 मीटर के भीतर के भूमि/भवनों को मानत्रित स्वीकृति कराने हेतु स्थानीय पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अन्य आन्तरिक संरचनाएं

जीना–

- आवासीय भवनों में आन्तरिक जीने की पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम 10'' होगी। तथा अन्य भवनों में पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम 12'' होगी।
- आवासीय भवनों में एक उठान में अधिकतम 12 राइजर तक होगें तथा अन्य भवनों में उनकी संख्या 15 तक हो सकेगी।

चहारदीवारी–

- सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊंचाई 8 फुट होगी, जिसका न्यूनतम 3 फुट ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त होगा।
- पीछे की तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवारों की अधिकतम ऊंचाइ 8 फुट होगी।
- कोने के भू-खण्ड में सड़क की तरफ की कम्पाउण्ड दीवार की ऊंचाई 6 फुट से अधिक नहीं होगी।
- उक्त उपबन्ध सैनेटोरियम, कारखाना, कार्यालय, संस्थागत भवनों पर लागू नहीं होंगे।

भू-गेह (बेसमेन्ट)–

- बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोई घर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा।
- बेसमेंट का निर्माण बगल की संपत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए भू-खण्ड की सभी सीमाओं से न्यूनतम 6 फुट छोड़ने के बाद ही अनुमन्य होगा।

बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा।

(क) घरेलू सामान, अज्वलनशील पद्धार्थ या अन्य सामान का भण्डारण।

(ख) आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डार्करूम, कोशकक्ष, बैंक सेलर आदि।

(ग) वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनें जो भवन की अनिवार्य सुरक्षा के लिए लगाई जायें।

(घ) पार्किंग स्थल और गैराज।

(च) पुस्तकालयों के अज्वलनशील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम)।

- बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग, फर्श से बीम तक न्यूनतम 7 फुट तथा अधिकतम 15 फुट ऊँचा होगा।
- बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जायेगा।

- बेसमेन्ट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्यूनतम 3 फुट तथा अधिकतम 4 फुट ऊपर होगी।
- सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाये इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षाए

- जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 3000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भू-खण्डों तथा सभी योजनाओ में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर संग्रहण हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।

सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र हेतु अपेक्षायें

निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की स्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी–

- अस्पताल तथा नर्सिंग होम।
- होटल ।
- अतिथि गृह।
- विश्राम गृहं
- छात्रावास।
- महाविद्यालय/प्राविधिक संस्थाए/प्रशिक्षण केन्द्र।
- सशस्त्र बल/अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक।
- सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हाल, बारात घर तथा इसी प्रकार के अन्य भवन।
- 5000 वर्ग फुट एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन।

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु अपेक्षाये

समस्त जनोपयोगी भवनों तथा सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं, सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु अवरोध मुक्त परिसर के सृजन के लिए प्राविधान सुनिश्चित किये जायेंगे।

भू-कम्परोधी निर्माण हेतु अपेक्षायें

- भू-तल सहित 3 मंजिल से अधिक अथवा 41 फुट से अधिक ऊँचाई के भवन तथा 5000 वर्ग फुट से अधिक भू-आच्छादन के सभी अवस्थापना सुविधाओं (यथा वाटर वर्क्स एवं ओवर हैंड टैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रिज एवं कल्वर्ट, विद्युत् उप्तादन केन्द्र एवं विद्युत् टावर, अस्पताल छविगृह, ऑडीटोरियम, सभा भवन, शैक्षिक संस्थाये, बस टर्मिनल आदि) पर भूकम्परोधी निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाये लागू होगी।
- भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति कराने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हस्ताक्षरयुक्त भवन की नीव एवं सुपरस्ट्रक्चर डिजाइन की पूर्ण गणनाये एवं स्ट्रक्चरल मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। साथ ही भवन निर्माण हेतु नियत प्राधिकारी को जो मानचित्र प्रेषित किये जायेंगे, उन सभी मानचित्रों पर भू-स्वामी, पंजीकृति आर्किटेक्ट के साथ-साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा सर्विस डिजाइन तैयार करने वाले सर्विस इन्जीनियर के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भूकम्परोधी डिजाइन होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

अपराधों का शमन उपविधि

- मानचित्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अवैध निर्माण दर्शाये जायेंगे 'फ्रन्ट', 'साइड' एवं पीछे के सैट बैक में अनधिकृत निर्माण शमनीय होगा।
- शमन शुल्क अवैध निर्माण के लिए निर्धारित शुल्क द्वारा लिया जायेगा।
- रु0 10.00 प्रति वर्ग फुट शमन शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।
- रु0 15.00 प्रति वर्ग फुट शमन शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि का उल्लघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पूर्ण बोरा,
प्रशासक/ज्वाईट मजिस्ट्रेट,
नगर पंचायत, फाजिल नगर,
जनपद कुशीनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम अरविन्द कुमार पुत्र संगम लाल व कुछ अभिलेखों में मेरा नाम अरविन्द पाण्डेय पुत्र संगम लाल पाण्डेय है। इस प्रकार दोनों नाम मुझसे सम्बन्धित हैं। जगतगुरु पट्टाभिषेक के उपरान्त हमारे गुरू जी द्वारा मेरा नाम स्वामी अनिरुद्धाचार्य कर दिया गया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये। अरविन्द कुमार पुत्र संगम लाल पता 122/100 मोरी दारागंज, प्रयागराज।

स्वामी अनिरुद्धाचार्य।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म संख्या ALL/0006307, M/s OMM INFRASTRUCTURE, 7, JHONSTONGANJ, PRAYAGRAJ-211003 के भागीदार आशुतोष तिवारी पुत्र विनय तिवारी, शिवांश तिवारी पुत्र विनय तिवारी, विनय तिवारी पुत्र स्व0 मुरारी लाल तिवारी उक्त फर्म से स्वेच्छापूर्वक दिनांक 26 मई, 2022 को भागीदारी फर्म से अलग हो रहे हैं। आज से उक्त फर्म में किसी प्रकार की लेनदारी व देनदारी नहीं है। इस फर्म के केवल एक पार्टनर राजेश चौरसिया पुत्र एस0ए0आर0 चौरसिया शेष रह गये हैं, जिसके कारण उपर्युक्त भागीदारी फर्म 26 मई, 2022 को विघटित कर दी गयी है।

OMM INFRASTRUCTURE,
Rajesh Chaurasia,
Partner.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र अनुराग यादव, ग्राम रायपुर, पोस्ट सुखलालगंज, तहसील मड़ियाहूं, थाना बरसठी, जिला जौनपुर के कक्षा 10 के अंक-पत्र में त्रुटिवश ललिता देवी के स्थान पर ललिता यादव हो गया है जो गलत है जबकि मेरे पैन व आधार में ललिता देवी है। उपर्युक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे ललिता देवी पत्नी आनंद किशोर यादव के नाम से जाना पहचाना जाय।

ललिता देवी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम हर्ष केसरवानी पुत्र मनोज कुमार है। मेरे शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम ओम केसरवानी पुत्र मनोज कुमार अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 की पॉलिसी संख्या 310817542 में घर का नाम हर्ष केसरवानी अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे ओम केसरवानी पुत्र मनोज कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

ओम केसरवानी,
पता–559 मुट्ठीगंज, गऊघाट चौकी,
प्रयागराज, पिन-211003।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुंज बिहारी लाल पुत्र स्व0 गनेश प्रसाद, निवासी 602/707 पुराना कटरा, इलाहाबाद घोषित करता हूं कि मेरा दूसरा नाम मुकुन जायसवाल भी है उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं भविष्य में मुझे कुंज बिहारी लाल के नाम से ही जाना व पहचाना जायेगा।

कुंज बिहारी लाल।

सूचना

मेरी पुत्री के हाईस्कूल अंक तालिका सी0बी0एस0 सी0 बोर्ड में मेरा नाम सपना सिंह अंकित है, जोकि गलत है। मेरा सही नाम सपना शर्मा पत्नी धर्मेन्द्र कुमार सिंह है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे सपना शर्मा पत्नी धर्मेन्द्र कुमार सिंह, निवासी म0नं0 356 निकट पवन बेकंट हाल, मुहल्ला अम्बिकापुरी सिविल लाइन्स, तहसील व जिला बदायूं, उ0प्र0 के नाम से जाना व पहचाना जाये।

सपना शर्मा,
पत्नी धर्मेन्द्र कुमार सिंह।

सूचना

फर्म मेसर्स पर्स इन्फ्राटेक एसोसिऐट्स, स्थिम म0नं0 114/102, विनायकपुर लखनपुर, निकट 11 नम्बर रेलवे क्रासिंग, कानपुर नगर के भागीदार नवीन प्रकाश मिश्रा पुत्र श्री स्वामी नाथ मिश्रा, निवासी म0नं0 114/102

विनायकपुर, लखनपुर 11 नं0 रेलवे क्रासिंग, कानपुर नगर का स्वर्गवास बस से दुर्घटनावश दिनांक 16 फरवरी, 2022 को हो गयी है तथा दिनांक 21 फरवरी, 2022 को उनकी पत्नी श्रीमती अम्बुज मिश्रा पत्नी स्व0 नवीन प्रकाश मिश्रा, निवासिनी 114/102 विनायकपुर लखनपुर 11 नं0 रेलवे क्रासिंग, के निकट कानपुर नगर, सम्मिलित हो गयी हैं तथा दिनांक 21 फरवरी, 2022 से फर्म में निम्न पार्टनर हो गये हैं–

1–श्रीमती अम्बुज मिश्रा पत्नी स्व0 नवीन प्रकाश मिश्रा, निवासिनी 114/102 विनायकपुर लखनपुर 11 नम्बर रेलवे क्रासिंग के निकट, कानपुर नगर।

2–श्री अजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 सत्य नारायन गुप्ता, निवासी म0नं0 जी-37 शान्ती नगर, कानपुर नगर।

3–श्री अरुण कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 सत्य नारायन गुप्ता, निवासी म0नं0 जी-37 शान्ती नगर, कानपुर नगर।

4–श्री राजीव कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्याम प्रकाश गुप्ता, नि0 म0नं0 128/330 एच-2 ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर नगर।

अजय कुमार गुप्ता,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स पर्स इन्फ्राटेक एसोसिऐट्स,
म0नं0 114/102, विनायकपुर लखनपुर,
निकट 11 नम्बर रेलवे क्रासिंग, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कुमार इन्टर प्राइजेज, प्लॉट नं0 149 अपो0 विद्या मन्दिर नगीना रोड धामपुर, जिला बिजनौर (यू0पी0) नामक फर्म के पार्टनर श्री सुनीत कुमार ने रिटायरमेंट लेकर दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से उक्त फर्म से अपनी साझीदारी समाप्त कर ली है। उक्त फर्म पर रिटायर होने वाले पार्टनर की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है। उक्त फर्म में अब वर्तमान में पांच पार्टनर श्री विजय कुमार, श्रीमती उषा अग्रवाल, श्री पुनीत कुमार, कु0 चारू अग्रवाल एवं श्रीमती शिखा अग्रवाल हैं।

विजय कुमार,
मेसर्स कुमार इन्टर प्राइजेज,
प्लॉट नं0 149 अपो0 विद्या मन्दिर,
नगीना रोड धामपुर, जिला बिजनौर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एच0एच0 इण्डस्ट्रीज, ग्राम पाडली बाजे, पो0 कांकरखेड़ा, तहसील व जिला मुरादाबाद (यू0पी0) में श्री जाकिर अली, श्री शाकिर अली व श्रीमती नगीना पार्टनर थे। पार्टनर शाकिर अली ने दिनांक 16 जून, 2022 को स्वेच्छा से त्याग-पत्र दे दिया है, फर्म में इनकी कोई लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है। अतः फर्म में श्री जाकिर अली व श्रीमती नगीना पार्टनर रह गये हैं। दोनों की फर्म से पचास-पचास प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

जाकिर अली,
"मेसर्स एच0एच0 इण्डस्ट्रीज",
ग्राम पाडली बाजे, पो0 कांकर खेड़ा,
तहसील व जिला मुरादाबाद (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स राधे लाल महीपाल सरन, बड़ी मण्डी धामपुर, जिला बिजनौर (यू0पी0) नामक फर्म के पार्टनर श्री सुनीत कुमार एवं श्री पुनीत कुमार ने रिटायरमेंट लेकर दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से उक्त फर्म से अपनी साझीदारी समाप्त कर ली है। फर्म में कु0 चारू अग्रवाल शामिल हो गयी हैं तथा उक्त फर्म पर रिटायर होने वाले पार्टनरों की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है। उक्त फर्म में अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्री विजय कुमार, श्रीमती उषा अग्रवाल एवं कु0 चारू अग्रवाल हैं।

विजय कुमार,
मेसर्स राधे लाल महीपाल सरन,
बड़ी मण्डी धामपुर, जिला बिजनौर (यू0पी0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म्स मेसर्स जे के कोल्ड स्टोरेज, खसरा नं0 1282 नियर ग्रीन हाउस वजीरगंज, तहसील बिसौली, जिला बदायूं-202526, जिसकी पंजीकरण संख्या BUD/0000265 है, यह फर्म दिनांक 07 अप्रैल, 2018 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, यह कि उपरोक्त फर्म में साझेदार श्री जय प्रकाश वार्ष्णेय पुत्र श्री हरीश चन्द्र, निवासी 9 मोहल्ला बारा सैनी वजीरगंज, तहसील बिसौली, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश-202526 का दिनांक 03 मई, 2021 को आकस्मिक निधन हो गया है। उनकी जगह दिनांक 26 मई, 2021 को श्रीमती मुक्ता वार्ष्णेय पुत्री श्री रमेश चन्द्र, निवासिनी 9, मोहल्ला बारा सैनी वजीरगंज, तहसील

बिसौली, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश-202526 स्वेच्छा से सभी साझेदारों की सहमति से उपरोक्त फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया। अब फर्म में कुल दो साझेदार क्रमशः श्री कीर्ति प्रकाश पुत्र श्री हरीश चन्द्र व श्रीमती मुक्ता वार्ष्णेय पुत्री श्री रमेश चन्द्र, निवासीगण 9, मोहल्ला बारा सैनी वजीरगंज, तहसील बिसौली, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश-202526 के हैं। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

कीर्ति प्रकाश,
साझेदार,
मेसर्स जे के कोल्ड स्टोरेज,
खसरा नं0 1282 नियर ग्रीन हाउस,
वजीरगंज, तहसील बिसौली,
जिला बदायू-202526,
जिसकी पंजीकरण संख्या BUD/0000265।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गुप्ता इन्टर प्राइजेज, बड़ी मण्डी धामपुर, जिला बिजनौर, (यू0पी0) नामक फर्म के पार्टनर श्री सुनीत कुमार एवं श्री पुनीत कुमार ने रिटायरमेंट लेकर दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से उक्त फर्म से अपनी साझीदारी समाप्त कर ली है। फर्म में श्रीमती उषा अग्रवाल एवं कु0 चारू अग्रवाल शामिल हो गयी हैं तथा उक्त फर्म पर रिटायर होने वाले पार्टनरों की कोई देनदारी व लेनदारी बकाया नहीं है उक्त फर्म में अब वर्तमान में तीन पार्टनर श्री विजय कुमार, श्रीमती उषा अग्रवाल एवं कु0 चारू अग्रवाल हैं।

विजय कुमार,
मेसर्स गुप्ता इन्टर प्राइजेज,
बड़ी मण्डी धामपुर,
जिला बिजनौर, (यू0पी0)।

पी0एस0यू0पी0—13 हिन्दी गजट—भाग 8—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।